वैकल्पिक देखरेख पर एक श्रृंखला

दत्तकग्रहण

UDAYAN care

unicef
unite for children

प्रकाशन का वर्षः फरवरी 2017
कॉपीराइटः उदयन केयर
इस पुस्तिका के किसी भी भाग को उचित स्वीकृति के साथ स्वतंत्र रूप से पुनः प्रकाशित किया जा सकता है।

उदयन केयर
16/97–ए, विक्रम विहार, लाजपत नगर–4,
नई दिल्ली–110024
फोनः +91-11-46548105/06
ई–मेलः advocacy@udayancare.org
वेबसाइटः www.udayancare.org

वैकल्पिक देखरेख पर एक श्रृंखला

दत्तकग्रहण

UDAYAN care

unicef
unite for children

विषय सूची

प्रस्तावना v

परिवर्णी और संक्षिप्त शब्द vi

1- ey lkp 01

2- Hkkjr e nÙkdxg.k ij lcf/kr dkuu 02

3- thMCY; ,DV] 1890 vkj ,p,,e ,DV] 1956 d vrxr nÙkdxg.k 03

4- tt ,DV] 2015 d vrxr nÙkdxg.k 04

5- fo'o Hkj e xkn fn, tku dh çfØ;k 13

6- nÙkdxg.k oky ekrk&firk dk D;k djuk pkfg, vkj D;k ugh 19

vuyXud 1% राज्य दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण की भूमिका 20

vuyXud 2% विशेष दत्तकग्रहण संसाधन के कार्य 22

संन्दर्भ सूची 27

प्रस्तावना

2015 बच्चों के अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था जब किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनिम, 2015 अधिनियमित हुआ। विश्व में भी यह वह वर्ष था जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने संधारणीय लक्ष्यों की प्राप्ति (एसडीजी) को अपना उद्देश्य बनाया ताकि विश्व में गरीबी का अंत हो और सभी को समृद्धि प्राप्त हो। इस विकास के साथ 2015 के बाद भारत में बच्चों की सुरक्षा को एक मजबूत अधिकार–आधारित हैसियत प्राप्त हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में उदयन केयर इस बात के प्रति सजग है की बच्चों कि सम्पूर्ण सुरक्षा को लिया जाये तो घर से बाहर रह रहे बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। वे बच्चे जिनको सुरक्षा की जरुरत है उनकी संख्या दिन–ओ–दिन बढ़ती रहती है और भारत में दत्तकग्रहण की परंपरा अभी भी बहुत कम है। अनुमान है कि 2020 तक यह संख्या 24 मिलियन हो जाएगी। इस प्रकार, भारत के सामने बहुत बड़ा कार्य है– इन बच्चों को सुरक्षा देने का और उन्हें वह सारे अवसर उपलब्ध कराने का ताकि वह अपनी पूरी काबलियत हासिल कर पाएं। एक तगड़ी वैकल्पिक देखरेख की प्रणाली की आवश्यकता है जो इन बच्चों को सुरक्षा दे और उन्हें समाज में दोबारा समन्वित करे और हम सब इसके लिए जवाबदेह होने चाहियें।

वैकल्पिक देखरेख की प्रणाली को तगड़ा बनाने के लिए कानूनों और प्रावधानों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन, कई बार हम देखते हैं कि इन कानूनों और प्रावधानों के बारे में उन लोगों को पता नहीं होता जो इस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और इससे 'बच्चों के अधिकारों' की बात गौण बनकर रह जाती है। वैकल्पिक देखरेख भारत में अभी भी नया विषय है। यह देखते हुए उदयन केयर को लगा की इसके बारे में जानकारी, शिक्षा और संचार की सामग्री होना जरूरी है। यह प्रकाशन जिसका नाम है, ^odfYid n[kj[k* ij ,d J[kyk] जिसमें चार हस्त–पुस्तिकाएं हैं यानि, ^cky n[kj[k lLFkkuk e n[kHkky d ekud*] ^ikyu&ik"k.k n[kj[k] ^nÙkdxg.k* और ^fd'kkjkoLFkk d ik'pkrorh n[kj[k*] इस दिशा में एक प्रयास है। यह हस्त–पुस्तिकाएं भारत में सबसे नवीनतम कानूनी और नीति के ढांचे को आवरण करती हैं और इनमें बातों को सरल तरीके से समझाया गया है ताकि सभी सम्बंधित व्यक्ति उनका सन्दर्भ ले सकें।

इन हस्त–पुस्तिकाओं में कोई मुश्किल कानूनी बातें नहीं हैं। इनका उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में काम कर रहे लोग इन चारों क्षेत्रों का 'दायरा' और उनके 'मुख्य तथ्य' समझ सकें। सभी पुस्तिकाओं को एक ही तरह से प्रस्तुत किया गया है, पहले मूल सोच पर प्रकाश डाला गया है, फिर कानूनी और नीति के प्रपत्रों के बारे में बात की गयी है उसके बाद भारत और कुछ अन्य देशों में अभ्यासों पर एक अध्याय है। प्रत्येक पुस्तिका में उन लोगों के लिए संदर्भ की सूची भी हैं जो इस मुद्दे पर और जानकारी लेना चाहते हों।

इन पुस्तिकाओं को देखरेख के अभ्यासकों, सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे लोगों, बच्चों की जिला बाल सुंरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक कार्यकर्ता, देखरेख करने वाले, कर्मचारीगण और संस्थाओं की प्रबंधन समितियों और साथ ही इस क्षेत्र में नए लोगों और स्वेछा से कार्य करने वालों के लिए लिखा गया है। लेकिन यह बात नोट करने लायक है कि यह पुस्तिकाएं कानून से ऊपर नहीं हैं और उसका स्थान नहीं ले सकतीं, कानून को आगे समझने की लिए, हमारा परामर्श है कि आप सम्बंधित नियम और कानून पढ़ें।

वैकल्पिक देखरेख पर यह प्रकाशन संभव नहीं हो पाता यदि यूनीसेफ का समर्थन नहीं मिला होता। उदयन केयर इस समर्थन की लिए उनका बहुत आभारी है।

हम विभिन्न विशेषज्ञों के निवेश के लिए अत्यंत आभारी हैं, जैसे, यूनीसेफ की तनिष्ठा दत्ता, स्वागत रहा जो सेंटर फॉर चाइल्ड एंड लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु से हैं, प्रमोदाय शाखा जो सहायक–निर्देश हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, दिल्ली सरकार से और इयान आनंद फोर्बेर प्रतत जो नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अल्टरनेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, इंडिया।

कहने की जरुरत नहीं है कि उदयन केयर की सम्पूर्ण टीम की कड़ी मेहनत ने यह सुनिष्चित किया कि यह उद्योग पूर्ण रूप से सफल हुआ।

mn;u d;j

परिवर्णी और संक्षिप्त शब्द

जेजे एक्ट 2015	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ ACT 2015)
जीडब्ल्यू एक्ट, 1890	गुआर्डिआस और वार्डस एक्ट, 1890 (GW ACT 1890)
एचएएम एक्ट, 1956	हिन्दू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 (HAM ACT 1956)
सीडब्ल्यूसी	बाल कल्याण समिति (CWC)
कारा	केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)
सारा	राज्य दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (SARA)
केरिंगस	बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (CARINGS)
एआर 2017	दत्तकग्रहण विधिक 2017 (AR 2017)
साआ	विशेषीकृत दत्तकग्रहण अधिकरण (SAA)
पैप/पैपस	भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता–पिता (PAP)
डीसीपीयू	जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन (NGO)
अफआ	अधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अधिकरण (AFAA)
सीए	केंद्रीय प्राधिकरण (CA)
ओसीआई/ओसीआईएस	भारत के विदेशी नागरिक (OCI)
आईएनए	इमीग्रेशन एंड नेशनॅलिटी एक्ट (INA)
सीसीआई	बाल देखरेख संस्थाओं (CCI)

मूल सोच

दत्तकग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें जन्म देने वाले माँ–बाप, या उन व्यक्तियों या संस्थाओं से बच्चे को पालने का दायित्व हट जाता है, और उन माता–पिता पर आता है जो उसकी आगे की देखरेख करने के लिए उसे इन लोगों या संस्थाओं से गोद लेते हैं और उस बच्चे को एक परिवार का प्यार और स्नेह प्रदान करते हैं। दत्तकग्रहण एक कनूनी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के देखरेख की जिम्मेदारी उसके असल मॉ–बाप, या उन व्यक्तियों या संस्थानो जो उसकी देखरेख कर रहे है, से हटकर उसके दत्तकग्रहण वाले माँ–बाप पे आ जाती है जिससे बच्चे को एक परिवार का स्नेह और प्यार मिलता है। हालाँकि दत्तकग्रहण के पीछे मूल सोच होती है कि बच्चे की सबसे बेहतर देखरेख की जाये, इससे दत्तकग्रहण वालों को अवसर मिलता है कि वह भी माता–पिता होने के सुख का अनुभव करें। कुछ माता–पिता होते हैं जो बच्चा गोद लेकर कुछ भला काम करना चाहते हैं। दत्तकग्रहण की प्रणाली बहुत पुरानी है लेकिन आधुनिक समय में यह अधिक प्रचलित हो गयी है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 दत्तकग्रहण की परिभाषा ऐसे देता है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से दत्तकग्रहण बच्चा स्थाई रूप से अपने जन्म–जात माता–पिता से अलग हो जाता है और कानूनी रूप से उन माता–पिता का बच्चा बन जाता है जो उसे गोद ले रहे हैं। इसके साथ आती है सभी जिम्मेदारियाँ, अधिकार और विशेषाधिकार जो एक साधारण बच्चे के होते हैं। (धारा 2(2))

जिन बच्चों को देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता होती है उनके लिए दत्तकग्रहण पुनर्वासन और सामाजिक बहाली का एक मुख्य उपाय है, क्यूंकि यह बच्चों को पारिवारिक देखरेख प्रदान करता है। ऐसे भी मॉ–बाप और अभिभावक होते है जो अपने बच्चे को स्वैछिक रूप से गोद देते है। एक बच्चा एक बार कानूनी रूप से दत्तकग्रहण किए जाने के बाद अपने नए माता–पिता की देखरेख के अंदर आ जाता है और इस नये संबन्ध की वजह से, दत्तकग्रहण के दिन से ही, उसे सभी अधिकार, विशेषाधिकार का लाभ प्राप्त होता है, और नए पारिवारिक संबंधों से जुड़ जाता है। दूसरे शब्दों मे, दत्तकग्रहण के बाद, नये पाारिवारिक संबंन्धो के कारण, बच्चे का अपने पिछले परिवार की समाप्ति इत्यादि पर कोइ कानूनन अधिकार नही होता। एक बार दत्तकग्रहण के बाद वह बच्चा उस परिवार की संपत्ति, इत्यादि पर कोई अधिकार नहीं रखता जो परिवार उसे गोद दे देता हैं। केवल एक अपवाद है –यदि दत्तकग्रहण से पहले किसी संपत्ति को बच्चे में निहित कर दिया गया हो। यह संपत्ति उस में ही निहित रहेगी और यदि कोई दायित्व हैं तो बच्चा उस दायित्व को निभाता रहेगा, और अगर कोइ ऐसे दायित्व है जिसमे उसे अपने पिछले परिवार से संबंन्ध रखना पड़ेगा, तो वह उसे भी निभायेगा। ताकि वह अपने जन्म देने वाले माता–पिता से सम्बन्ध बनाये रखे। धारा 63

दत्तकग्रहण किए जाने की सोच नीचे दी गयी चार्ट में दर्शायी गयी है:

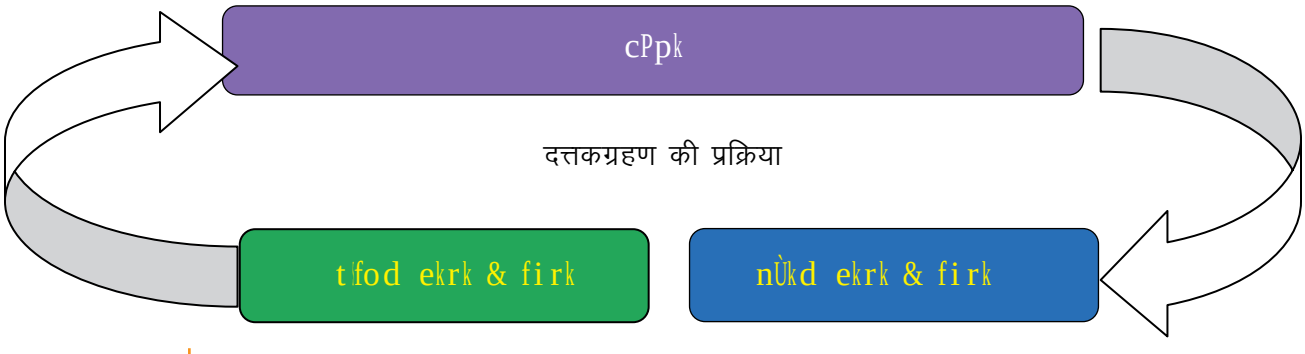

e|[; ckr

दत्तकग्रहण एक महत्वपूर्ण पारिवारिक पुनर्वास की प्रक्रिया है जिससे माता–पिता के दायित्व कानूनी रूप से बदल जाते हैं –जन्म देने वाले माता–पिता से दत्तकग्रहण वाले माता–पिता पर आ जाते हैं– ताकि बच्चे को एक परिवार की देखरेख और प्यार–स्नेह मिलता रहे।

भारत में दत्तकग्रहण पर संबंधित कानून

नीचे दिए गए तीन कानून भारत में दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को शासित करते हैं:

- गुआर्डिआस और वार्डस एक्ट, 1890 (जीडब्ल्यू एक्ट, 1890)
- हिन्दू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 (एचएएम एक्ट, 1956)
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट, 2015)

नीचे दिया गया चार्ट उपरोक्त तीन कानूनों के तहत संबंधित आबादी कवरेज को लागू करता है–

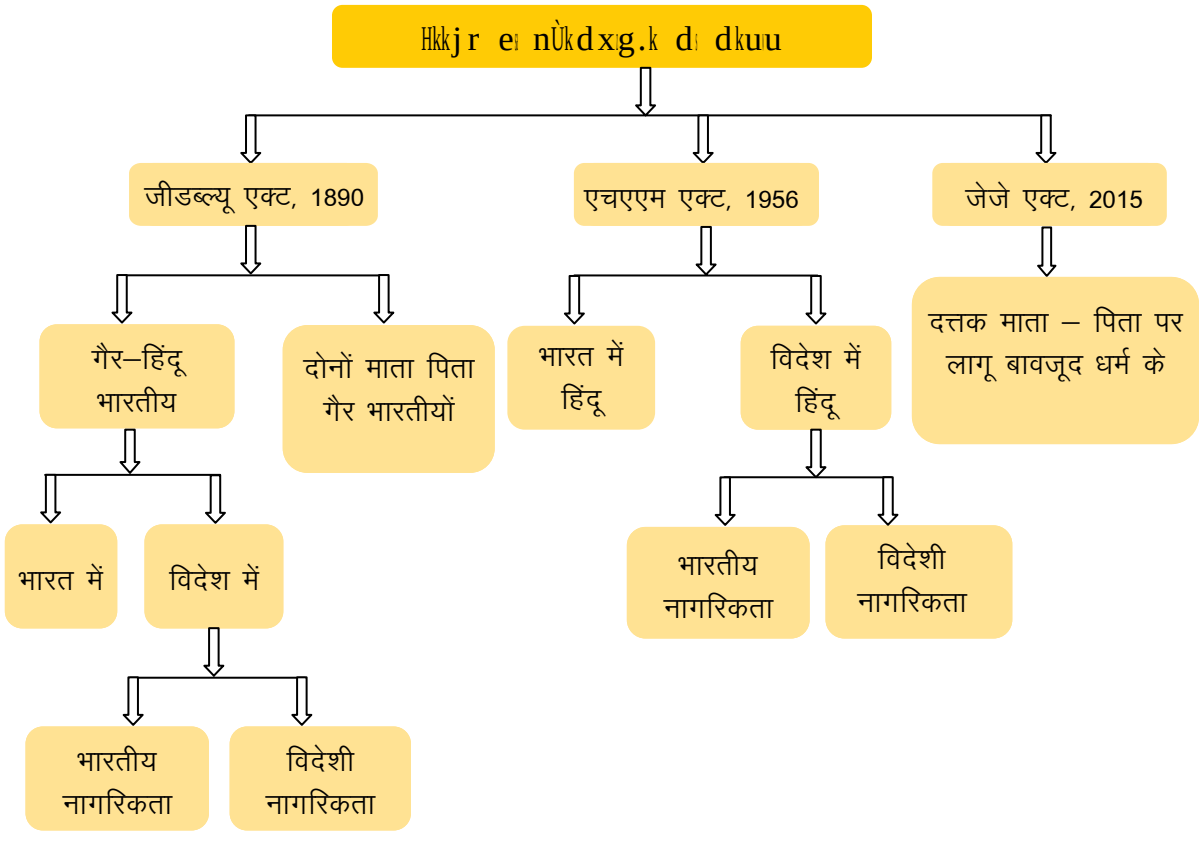

e[; ckr

देश में जो तीन कानून दत्तकग्रहण पर लागू होते हैं वह सब मिलकर हिन्दुओं, गैर–हिन्दुओं, गैर–भारतीय और माता–पिता पर लागू होते हैं चाहे वह किसी भी धर्म का अनुसरण करते हों।

thMCY;w ,DV] 1890 vkSj ,p,,e ,DV] 1956 ds vUrxZr nÙkdxzg.k

thMCY;w ,DV] 1890 ds vUrxZr nÙkdxzg.k

जीडब्ल्यू एक्ट, 1890 बालकों के संरक्षण से सम्बंधित है और जम्मू और कश्मीर राज्य के आलावा यह सम्पूर्ण देश में लागू होती है। एक अभिभावक वह व्यक्ति होता है जो एक किशोर व्यक्ति या उसकी संपत्ति की देखरेख करता है। विदेशियों के आलावा, वह भारतीय जो मुसलमान, पारसी, ईसाई या यहूदी हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं क्यूंकि उनके निजी कानून पूर्ण रूप से दत्तकग्रहण की अनुमति नहीं देते।

अभिभावकता के लिए आवेदन "उस व्यक्ति द्वारा किया जाता जो किशोर का अभिभावक होना चाहता है, या ऐसा दावा करता है, या किशोर का कोई दोस्त या सम्बन्धी, या जिले का कलेक्टर या अन्य स्थानीय क्षेत्र का, जहाँ किशोर आमतौर पर रहता है या जहाँ उसकी कोई संपत्ति है, या कलेक्टर का अधिकार है उस श्रेणी में, जिस श्रेणी में किशोर आता है।" (धारा 8) अभिभावकता न्यायलय द्वारा हटाई जा सकती है। ऐसे करने के लिए न्यायलय के पास जो आधार हैं वह अन्य मामलों के आलावा हैं: भरोसे का तोडना, अपने कार्य नहीं कर पाना, अपने अभिभावकता की देखरेख नहीं करना, जीडब्ल्यू एक्ट या न्यायलय के आदेशों के प्रावधानों पर ध्यान नहीं देना, किसी अपराध में इसलिए अभियुक्त बनना क्यूंकि आपका चरित्र खराब है, अपने कार्यों के प्रति निष्ठा नहीं रखना, और न्यायलय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवास नहीं करना। लेकिन एक्ट अभिभावकता पर अधिक ध्यान देती है; मातृत्व या पितृत्व पर कम, जिसका तर्क यह है कि वह इस बारे में अधिक नहीं सोचती की बच्चे को एक अच्छे परिवार का परिवेश मिल रहा है या नहीं।

,p,,e ,DV] 1956 ds vUrxZr nÙkdxzg.k

दत्तकग्रहण और देखरेख करने की हिन्दू एक्ट, 1956 उस कानूनी प्रक्रिया के सम्बन्ध में है जिसमें एक बच्चे को हिन्दुओं या यूँ कहें बुद्धिस्ट, जैन और सिख और कोई भी वह व्यक्ति जो मुसलमान, सिख, पारसी या यहूदी नहीं है, द्वारा गोद लिया जाता है। एक हिन्दू पुरुष जो दिमागी रूप से संतुलित है और किशोर नहीं है, एक बेटे या बेटी को गोद ले सकता है, –अपनी जीवित पत्नी की अनुमति से एक हिन्दू महिला एक बेटा या बेटी गोद ले सकती है, यदि वह दिमागी रूप से संतुलित है, बच्ची नही है और उसकी शादी नहीं हुई है। इस अधिनियम के अनुसार, एक बच्चे का केवल पिता या माता या अभिभावक उसे गोद दे सकता है। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार एक बच्चा तब गोद लिया जा सकता है जब वह हिन्दू है, पहले गोद नहीं लिया गया और शादी–शुदा नहीं है और 15 वर्ष से कम का है।

सभी उद्देश्यों के लिए, एक दत्तकग्रहण बच्चा अपने गोद लिए पिता या माता का बच्चा बन जाता है उस तिथि से जब से उसे गोद लिया गया। उस बच्चे के उस दिन से अपने जन्म देने वाले माता–पिता से सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं जिस दिन से उसे गोद लिया जाता है।

e[; ckr

एचएएम एक्ट हिन्दुओं और उन सभी के द्वारा दत्तकग्रहण की अनुमति देती है जो मुसलमान, इसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं और कानून के अंतर्गत जो बच्चा गोद लिया जाता है वह दत्तकग्रहण वाले माता–पिता का बच्चा बन जाता है। दूसरे हाथ पर जीडब्ल्यू एक्ट, 1890, भारतीय मुसलमानों, पारसियों, ईसाईयों और यहूदियों को अपने अंतर्गत लेती है, लेकिन जो बच्चे अधिनियम के अंदर आते हैं वह 'बच्चों' की हैसियत नहीं पाते, क्यूंकि उन्हें 'अभिभावकता' कहा जाता है।

tt ,DV] 2015 d vrxr nÙkdxg.k

जेजे एक्ट, 2015 अनाथ, त्यागे हुए और समर्पित बच्चों को दत्तकग्रहण से सम्बन्ध रखती है। ऐसे बच्चों को दत्तकग्रहण इस बात से वास्ता रखती है कि एक बच्चे को एक परिवार की देखरेख और प्यार की आवश्यकता होती है और यह उसका अधिकार है। इस अधिनियम के प्रावधान एचएएम एक्ट, 1956 के अंतर्गत दत्तकग्रहण की प्रक्रिया पर लागू नहीं होते।

नीचे दी गयी धाराएं जेजे एक्ट, 2015 के प्रावधानों को बताती है। दत्तकग्रहण के नियम, 2017 को सन्दर्भ में लिया गया है ताकि दत्तकग्रहण की पूरी प्रक्रिया को समझा जा सके।

vukFk% एक बच्चा जिसके जन्म देने वाले माता–पिता, या जिन्होंने उसे गोद–लिया नहीं है या जिसका कानूनी संरक्षक उस की देखरेख नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता।

NkMk ¼R;kxk½ gvk% एक बच्चे जिसके जन्म देने वाले माता–पिता या दत्तकग्रहण वाले माता–पिता या अभिभावकों ने छोड़ा हुआ है और जिसे सीडब्ल्यूसी ने उचित पूछताछ के बाद ऐसा घोषित किया है।

lefir cPpk% एक बच्चा जिसे उसके माता–पिता या अभिभावकों ने सीडब्ल्यूसी को समर्पित किया हुआ है क्यूंकि वह शारीरिक, भावुक या सामाजिक कारणों से उसकी देखरेख नहीं कर सकते।

स्रोत: जेजे एक्ट, 2015

,d cPp dk dkuuh :i l xkn fy, tku d fy, mfpr ?kkf"kr dju dh çfØ;k,A

जेजे एक्ट, 2015 की धारा 38 उन प्रक्रियाओं से निपटती है जो एक बच्चे को कानूनी रूप से दत्तकग्रहण के लिए उचित समझी जाती हैं। ऐसी घोषणा करने का दायित्व जिले की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के पास होते हैं। इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वह नीचे तालिका में दी गयी हैं:

vukFk vkj R;kx g, cPp d fy,	lefir cPp d fy,
सीडब्ल्यूसी पहले उसके माता–पिता और अभिभावकों का पता लगाने की कोशिश करती है। यदि यह स्थापित हो जाता है कि वह बच्चा अनाथ है या त्यागित है, तो सीडब्ल्यूसी उसे गोद लिए जाने के लिए कानूनी रूप से उचित घोषित करती है। दो साल तक के बच्चों के लिए घोषणा बच्चे के पता चलने के 2 महीनों के अंदर की जानी चाहिए और यदि वह 2 वर्ष से अधिक का है, तो 4 महीनों के अंदर।	वह संस्था जिसमें समर्पित बच्चे को सीडब्ल्यूसी रखती है वह जेजे एक्ट, 2015 की धारा 35 में निर्धारित अवधि के पूरे होने पर तुरंत बच्चे को कानूनी रूप से गोद लिए जाने लायक घोषित करवाने के लिए सीडब्ल्यूसी लाती है। *बच्चे के आत्मसमर्पण के बाद, माता–पिता या अभिभावक को दो महीने का समय दिए जाते हैं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर ले।

दिमागी रूप से कमजोर माता–पिता का बच्चा या एक अनचाहा बच्चा जो यौन शोषण के कारण पैदा हुआ है उसे ऊपर दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करके कानूनी रूप से गोद लिए जाने लायक घोषित किया जा सकता है।

एक बच्चे को गोद लिए जाने के लिए कानूनी रूप से उचित घोषित करने का निर्णय सीडब्ल्यूसी के कम–से–कम तीन सदस्यों द्वारा लिए जाना चाहिए। जेजे एक्ट, 2015 की धारा 38(5) मांग करती है कि सीडब्ल्यूसी प्रत्येक महीने उन बच्चों की संख्या बताये जो कानूनी रूप से गोद लिए जाने लायक है एवम जिनके मामलो मे अभी तक कोइ फैसला नही लिया गया है और उसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सारा) को भेजे।

nÙkdxg.k dh çfØ;k dk 'kkflr djus okys ey fl)kr

दत्तकग्रहण विधिक 2017 (एआर 2017) के नियम 3 के अनुसार नीचे दिए गए मूल सिद्धांत दत्तकग्रहण को शासित करते हैं:

- दत्तकग्रहण के मामलों का संसाधित करते समय जो बात सबसे जरूरी है वह यह है कि बच्चों के लिए क्या सबसे अच्छा है।
- दत्तकग्रहण के लिए प्राथमिकता उन माता–पिता को दी जानी चाहिए जो भारतीय हैं।
- जहाँ तक संभव है एक बच्चे को उसके अपने सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश में गोद दिया जाना चाहिए।
- दत्तकग्रहण के सभी मामलों को बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केरिंगस) में पंजीकृत करना चाहिए, और कारा को यह विवरण गुप्त रखने चाहियें।

Hkkoh xkn yus okys ekrk&firk ds fy, ;kX;rk ds ekunM

एआर 2017 के नियम 5 के अनुसार, भावी माता पिता के लिए योग्यता के मापदंड नीचे दिए गए हैं:

- उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए, उनके पास पर्याप्त साधन होने चाहियें और भावनात्मक तौर पर भी स्थिर होना चाहिए और कोई जीवन के लिए खतरनाक बीमारी नहीं होनी चाहिए।
- यदि कोई जोड़ा किसी बच्चे का दत्तकग्रहण चाहता है तो दोनों की सहमति होनी चाहिए।
- एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है।
- एक अकेला पुरुष एक बालिका को गोद नही ले सकता है।
- यदि एक जोड़ा एक बच्चे का दत्तकग्रहण चाहता है तो उन्हें कम से कम दो वर्ष तक एक स्थिर वैवाहिक रिश्ते में रहना चाहिए।
- बच्चे की आयु और दत्तकग्रहण वाले माता–पिता की आयु दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को मापदंडित करती हैं।

cPps dh vk;q	Hkkoh ekrk&firk dh dqy vk;q	nkuk esa ls ,d dh vf/kdre vk;q
4 वर्ष तक	90 वर्ष	45 वर्ष
4 से 8 वर्ष	100 वर्ष	50 वर्ष
8 से 18 वर्ष	110 वर्ष	55 वर्ष

- बच्चे और दोनों में से किसी भी एक (माता या पिता) की आयु का फर्क 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
- माता और पिता के लिए आयु का मानदंड तब लागू नहीं होगा जब कोई रिश्तेदार बच्चे को गोद ले रहा है या सौतेला पिता या सौतेली माँ गोद ले रहे हों।
- वह जोड़े जिनके तीन या उससे अधिक बच्चे हैं वह बच्चे गोद नहीं ले सकते, केवल उन बच्चों के आलावा जिनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, या जिन बच्चों को कोई गोद नहीं ले रहा, या रिश्तेदारी का मामला और सौतेले माँ–बाप द्वारा दत्तकग्रहण के मामले।

Hkkjr esa jg jgs Hkkjrh; ekrk&firk }kjk xksn fy, tkus dh çfØ;k ¼/kkjk 58] tsts ,DV] 2015½

भावी माता पिता, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक विशेषीकृत दत्तकग्रहण अधिकरण (साआ) को निर्धारित तरीके से आवेदन देते हैं– जैसा सारा के दत्तकग्रहण के नियमों में निर्धारित है।

साआ माता–पिता की घरेलु रिपोर्ट बनाती है और यदि उन्हें योग्य पाया जाता है तो उन्हें एक दत्तकग्रहण के लिए घोषित बच्चे के बारे में बताया जाता है –उसकी रिपोर्ट और डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ।

माता–पिता साआ को स्वीकृति का दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं –उस बच्चे की अध्ययन रिपोर्ट और डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ जिस पर दोनों के हस्ताक्षर हैं, साआ बच्चे को दत्तकग्रहण से पहले की देखरेख में देता है और न्यायलय में निर्धारित तरीके से आवेदन भरता है।

गोद लिए जाने पर साआ न्यायलय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करता है और बच्चे को भावी माता–पिता को सौंप दिया जाता है।

साआ द्वारा देखा जाता है कि गोद लिया गया बच्चा नए घर में ठीक से पल रहा है और उसकी अच्छी देखरेख हो रही है।

अभ्यास में लेने वाले, योग्य बनाने वाले नियमों का सन्दर्भ ले सकते हैं (9) (रजिस्ट्री और गृह अध्ययन) और 10 (साआ द्वारा एक बच्चे का पता पाना–केरिंगस), 11 (दत्तकग्रहण से पहले पालन देखरेख), 12 (कानूनी कार्यवाही) और 13 (देखना कि दत्तकग्रहण बच्चे की ठीक देखरेख हो रही है।

vUrj&ns'k nÙkdxg.k dh çfØ;k ¼/kkjk 59] tsts ,DV 2015½

अंतर–देश दत्तकग्रहण की प्रक्रिय अनाथ, त्याग किये हुए बच्चों या समर्पित बच्चों के लिए है जिन्हे भारतीय या गैर निवासी माता–पिता के साथ नहीं रखा जा सका –60 दिनों के अंदर जब से उन्हें कानूनी रूप से दत्तकग्रहण लायक घोषित किया गया। जेजे एक्ट की धारा 59 (1) आगे कहती है कि वह बच्चे जो शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हैं या भाई–बहन हो या जो पांच वर्ष की आयु से अधिक हैं उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है जब उन्हें दूसरे देश में गोद दिया जाता है।

उन माता–पिता को भी प्राथमिकता दी जाती है जो गैर–निवासी भारतीय हैं या विदेश मे रहने वाले भारतीय नागरिक हो या विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अंतर–देश दत्तकग्रहण के मामले में एक भावी माता या पिता या तो गैर–निवासी भारतीय है या भारत या विदेश में रहने वाला व्यक्ति या भारतीय मूल के व्यक्ति या विदेशी–चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

गोद देने के सम्बन्ध में कार्यकर्ता नीचे दिए हुए समर्थित एआर 2017 के नियमों का सन्दर्भ ले सकते हैं: नियम 15 (पंजीकरण और गृह अध्ययन रिपोर्ट –दत्तकग्रहण वाले माता–पिता की) नियम 16 प्राधिकरण से मिला 'अनापत्ति' का प्रमाण –पत्र और दत्तकग्रहण से पहले पालन देखरख (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी), 17 कानूनी प्रक्रिया, 18 पासपोर्ट और वीसा, अप्रवासन प्राधिकरणों को सूचना देना, अनुकूलता का प्रमाण–पत्र, जन्म–प्रमाण–पत्र, आदि नियम 19 गैर–निवासी भारतियों, भारतीय मूल के विदेशी और दत्तकग्रहण वाले विदेशी माता–पिता द्वारा बच्चे का सही पालन–पोषण, 20 भारत के विदेशी नागरिकों, विदेशियों (हेग एडॉप्शन कांफ्रेंस से प्रमाणित) द्वारा गोद लिया जाना, 21 भारतीय जो विदेश में रहते हैं या हेग एडॉप्शन कन्वेंशन द्वारा समर्थित व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं उनके द्वारा गोद लिया जाना, 22 भारतीय नागरिक द्वारा विदेश से बच्चे का दत्तकग्रहण, 56 कोई आपत्ति नहीं है (कारा से मिला प्रमाण–पत्र) और 57 अनुकूलता का प्रमाण पत्र।

भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता–पिता (पैप) एक अधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण की एजेन्सी या केंद्रीय अधिकरण या सम्बंधित सरकारी विभाग पर लागू होते हैं –अपने निवास के देश में, कारा द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार

वह विदेशी अधिकरण जिसे आवेदन दिया गया है भावी माता–पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट बनाती है, और यदि वह योग्य पाए जाते हैं तो वह कारा को भारत से बच्चे के दत्तकग्रहण के लिए प्रायोजित करती है

कारा आवेदन की जांच करता है और यदि उसे उचित पाता है तो आवेदन को किसी साआ में संदर्भित करता है जहाँ कानूनों रूप से स्वतंत्र बच्चे दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध होते हैं

साआ एक बच्चे को भावी माता–पिता से मेल करता है, और बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट उसके माता–पिता को भेजता है, जो बच्चे को स्वीकार कर सकते हैं और साआ को बाल अध्ययन रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट वापस कर सकते हैं

बच्चा जब भावी माता–पिता द्वारा गोद ले लिया जाता है, तो साआ न्यायलय में दत्तकग्रहण का आदेश प्राप्त करने के लिए एक आवेदन देता है

न्यायलय से प्रमाणित प्रति पाने के बाद साआ आदेश को कारा, सारा और पैप को भेजता है और बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करता है

कारा दत्तकग्रहण की बात भारत के और बच्चे को प्राप्त करने वाले देश के प्रवासन प्राधिकरणों को बताता है

पैप बच्चे को स्वयं साआ से प्राप्त करते हैं जब बच्चे को पासपोर्ट और वीसा जारी हो जाता है

दत्तकग्रहण की अधिकृत विदेशी अधिकरण जिसे मूल रूप से दत्तकग्रहण का आवेदन दिया गया था सुनिष्चित करता है कि कारा को उसके विकास की रिपोर्ट दी जाये कि वह उस परिवार में ठीक से रह रहा है और खुश है। यदि कोई बाधा आती है तो वह कारा और सम्बंधित भारतीय राजदूतीय मिशन से सलाह करके दूसरा प्रबंध भी करता है

एक विदेशी या एक व्यक्ति जो भारतीय मूल का है या भारत का विदेशी नागरिक है जो भारत में रहता है उसे कारा में आवेदन देना होता है, यदि उसे भारत से बच्चा दत्तकग्रहण है और साथ ही भारत में अपने देश के राजदूती मिशन से एक अनापत्ति पत्र भी लेना होता है

vrj&ns'k lEcU/kh }kjk nÙkdxzg.k dh çfØ;k ¼tt ,DV] 2015 /kkjk 60½

नीचे दी गयी प्रक्रिया अंतर–देश दत्तकग्रहण के लिए है जिसमें रिश्तेदार शामिल होते हैं (उदहारण के लिए एक रिश्तेदार जो विदेश में रह रहा है और भारत में किसी रिश्तेदार से बच्चा दत्तकग्रहण चाहता है)

पैपस न्यायलय से दत्तकग्रहण का एक आदेश प्राप्त करते हैं और कारा में आवेदन देते हैं कि उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार 'अनापत्ति' का प्रमाण–पत्र दिया जाये।

न्यायलय के आदेश के अनुसार और जन्म देने वाले या दत्तकग्रहण वाले माता–पिता से आवेदन मिलने के बाद कारा एक 'अनापत्ति' का प्रमाण–पत्र देती है। वह भारत में प्रवासन के संसाधन को भी इस बारे में सूचित करती है और बच्चे को प्राप्त करने वाले देश को भी सूचित करती है।

दत्तकग्रहण वाले माता–पिता, जन्म–देने वाले माता पिता से बच्चे को प्राप्त करते हैं। वह उस बच्चे को उसके भाई/बहन से, और जन्म देने वाले माता–पिता से भी समय–समय पर मिलवाते रहते हैं।

अभ्यास में लेने वाले एआर 2017 नियम 53 (अंतर–देश रिश्तेदारी में दत्तकग्रहण), 54 (कारा से पूर्वानुमोदन लेना) और 55 (कानूनी प्रक्रिया), 56 (कारा का अनापत्ति प्रमाण पत्र) और 57 (अनुकूलता का प्रमाण पत्र) जो अंतर–देश दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को शासित करते हैं।

vU; eq[; çfØ;k ¼/kkjk 61 vkSj 62] tsts ,DV] 2015½

- वह शर्तें जिनके बारे में दत्तकग्रहण का आदेश देने से पहले न्यायलय को संतुष्ट होना चाहिए, वह हैं:
  - ✓ दत्तकग्रहण की प्रक्रिया बच्चे के लाभ के लिए है।
  - ✓ बच्चे की मर्जी जानी जा रही है और वह उसकी उम्र और उसकी समझ के अनुसार होनी चाहिए।
  - ✓ दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में जो भी पक्ष है उन्हें कोई भी इनाम या भुगतान प्राप्त करने की बात नहीं की है, उस भुगतान के आलावा जो दत्तकग्रहण के नियमों के अंतर्गत अनुमित है।
- न्यायलय में हुई दत्तकग्रहण की प्रक्रिया कैमरे में आयोजित की जाती है।
- न्यायलय को दत्तकग्रहण का मामला, आवेदन मिलने के nks eghuksa ds vanj निपटा देना चाहिए।
- प्रलेखीकरण और प्रक्रियात्मक मामले कारा द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार होने चाहियें।
- साआ द्वारा दत्तकग्रहण के मामले का आवेदन मिलने के 4 eghuksa ds vanj निपटा दिया जाता है।
- अदालतों द्वारा पारित दत्तकग्रहण के आदेशों के विवरण मासिक आधार पर कारा को भेजे जाते हैं।

,sls cPpksa dk nÙkdxzg.k tks mu laLFkkvksa esa jgrs gSa tks nÙkdxzg.k ds dsaæksa ds :i esa iath—r ugha gSa

नीचे दी गयी प्रक्रियाएं अनाथ, त्यागे हुए और समर्पित बच्चों पर लागू होती हैं जो उन संस्थाओं में रह रहे होते हैं जो जेजे एक्ट 2015 के अंतर्गत पंजीकृत हैं लेकिन दत्तकग्रहण के विशेष केंद्रों के रूप में नहीं (जेजे एक्ट, 2015, धारा 66)

- इन संस्थाओं को बच्चों की रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है, ताकि सीडब्ल्यूसी बच्चों को कानूनी रूप से दत्तकग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित कर सके।
- ऊपर दी गयी संस्थाएं आस–पास के साआ से औपचारिक बंधन स्थापित करती हैं और उन्हें उन बच्चों के विवरण प्रदान करती हैं जो कानूनी रूप से दत्तकग्रहण के लिए स्वतंत्र हैं।
- इसके बाद, बच्चों को साआ द्वारा दत्तकग्रहण में रखा जाता है।

laLFkkxr <kaps tks nÙkdxzg.k dh çfØ;k ls fuiVrs gSa

जो संस्थागत ढांचे दत्तकग्रहण से सम्बंधित हैं उन्हें nks 'kk[kkvksa esa ckaVk tk ldrk gS & og laLFkk,a tks fo'ks"kdj nÙkdxzg.k ls lEcaf/kr gSa और nwljh gSa dke ljy djus okyh laLFkk,a जो दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में अलग–अलग भूमिकाएं निभाती हैं, जैसा जेजे एक्ट 2015 और एआर 2017 में निर्धारित है। नीचे दी गयी चार्ट वह संस्थाएं दिखा रही है जो दत्तकग्रहण से सम्बंधित हैं, उनके बारे में संक्षिप्त नोट भी चार्ट के नीचे दिए गये हैं।

कारा महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की कानूनी संस्था है। मुख्य संस्था होने के कारण यह अनाथ, त्यागे हुए और समर्पित बच्चों को गोद दिए जाने से निपटती है और देश के अंदर और एक देश से दूसरे देश दत्तकग्रहण की प्रक्रियायों पर निगरानी और नियंत्रण रखती है। उसे हेग कन्वेंशन 1993 के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश में दत्तकग्रहण के मामलों में केन्द्रीय अधिकरण निर्धारित किया गया है जिसे भारत सरकार ने 2003 में प्रमाणित किया।

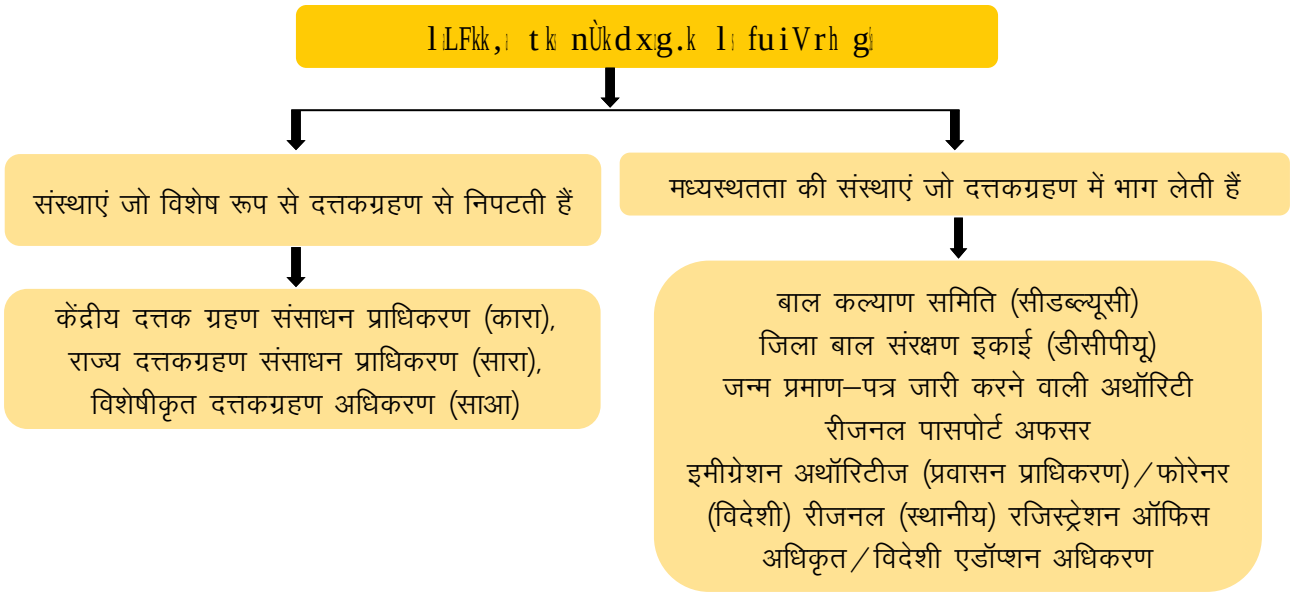

lLFkk,¡ tk nÙkdxg.k l fuiVrh g

संस्थाएं जो विशेष रूप से दत्तकग्रहण से निपटती हैं

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा),
राज्य दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सारा),
विशेषीकृत दत्तकग्रहण अधिकरण (साआ)

मध्यस्थतता की संस्थाएं जो दत्तकग्रहण में भाग लेती हैं

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)
जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)
जन्म प्रमाण–पत्र जारी करने वाली अथॉरिटी
रीजनल पासपोर्ट अफसर
इमीग्रेशन अथॉरिटीज (प्रवासन प्राधिकरण) / फोरेनर (विदेशी) रीजनल (स्थानीय) रजिस्ट्रेशन ऑफिस
अधिकृत / विदेशी एडॉप्शन अधिकरण

dnh; nÙkdxg.k llk/ku ikf/kdj.k ¼dkjk½

कारा के मुख्य कार्य जैसा जेजे एक्ट 2015 की धारा 68 में कहा गया है:

- देश के अंदर दत्तकग्रहण की क्रिया को प्रोत्साहित करना और राज्य संसाधन के समन्वय के साथ अंतर–राज्य दत्तकग्रहण को आसान बनाना।
- अंतर–देश के मामलों में दत्तकग्रहण की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना।
- दत्तकग्रहण और उससे सम्बंधित मामलों पर समय–समय पर जरुरत के अनुसार नियम बनाना।
- हेग कन्वेंशन के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण के कार्य संपन्न करना।

jkT; nÙkdxg.k llk/ku ikf/kdj.k ¼lkjk½

सारा, जिसे राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया गया है, राज्य के स्तर पर दत्तकग्रहण सम्बंधित मामलों से निपटता है –कारा के दिशा–निर्देश के अंदर (जेजे एक्ट, 2015, धारा 67)

fo'ks"khÑr nÙkdxg.k vf/kdj.k ¼lkvk½

इन्हें राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया गया है या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा, इन्हें अनाथ, त्यागे हुए या समर्पित बच्चों की देखरेख के लिए बनाया गया है। जेजे एक्ट, 2015 की धारा 65 के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में साआ की पहचान करता है, उनके विवरण कारा को प्रस्तुत करता है, प्रत्येक साआ को साल में कम–से–कम एक बार जांचता है और जैसा जरूरी है उचित कदम उठाता है।

vf/k—r fon'kh nÙkdxg.k vf/kdj.k

यह अधिकरण एक दूसरे देश की सामाजिक या बच्चों के परोपकार की अधिकरण से सम्बंधित है जिसे उनके केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग से कारा द्वारा अधिकृत किया गया है कि वह गैर–निवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के वयक्ति या विदेशी भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता–पिता के आवेदन को स्पॉसर करें और भारत से बच्चे को गोद लिया जा सके।

nÙkdxg.k ij dfjxl vkj vU; egRoi.k fu;e

- dfjxl% dkjk }kjk ç;kx fd;s tku okyh ,d v,uykbu ç.kkyh g} tks Hkkjr es nÙkdxg.k ds dk;Øe dks vklku cukrh g}, उसे दिशा निर्देश देती है और उसकी निगरानी करती है। दत्तकग्रहण की प्रक्रिया आवेदन देने से लेकर बच्चे के चयन तक पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत हो गयी है। नयी प्रणाली के अंदर पैपस को केरिंगस पर कारा की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और अपनी पसंद की अधिकरण का चयन करना होगा और जैसा एआर 2017 की अनुसूची VI में दिया गया है, उचित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पंजीकरण के शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है।
  - ✓ पैपस को पंजीकरण के समय अपने राज्यों का चयन करना होगा। इस पर किये गए पंजीकरण को राज्य या राज्यों के सभी साआ में किया गया पंजीकरण माना जायेगा।
  - ✓ पैपस की वरिष्ठता, पंजीकरण की तिथि से रखी और दस्तावेजों के अपलोड किये जाने के समय से मानी जाएगी।
  - ✓ प्राथमिकता की शर्तों पर भारतीय अनाथ, त्यागे हुए या समर्पित बच्चों को दत्तकग्रहण के लिए एनआरआईएस को भारतियों के बराबर माना जायेगा।
  - ✓ दत्तकग्रहण की सभी प्रक्रियाएं (देश के अंदर या बाहर) केरिंगस के माध्यम से होंगी और केरिंगस के बाहर की गयी प्रक्रियाओं पर मनाही है।
  - ✓ केरिंगस पर पंजीकरण के लिए, पैपस को विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। नीचे दी गयी तलिका दस्तावेजों के नाम देता है जिन्हे दत्तकग्रहण की विभिन्न श्रेणियों के लिए आवश्यकता है।

Js.kh	ithdj.k ds le; viykM djus ds nLrkost
ns'k ds vnj nÙkdxg.k dh çfØ;k ¼fuoklh Hkkjrh; ekrk&firk½	उस व्यक्ति की वर्तमान फोटो/पारिवारिक फोटो जो बच्चा गोद ले रहा है, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैपस का नंबर, निवास का प्रमाण (आधारकार्ड/वोटर–आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/वर्तमान बिजली बिल/टेलीफोन बिल); पिछले वर्ष की आय का प्रमाण (वेतन स्लिप/आयकर प्रमाणपत्र जो सरकार द्वारा जारी किया गया है/आयकर विवरण, शादी के प्रमाणपत्र की प्रति और फोटो; कोर्ट से तलाक का आदेश/घोषणा या शपथ–पत्र उन मामलों में जहाँ तलाक निजी कानूनों से शासित है और इसका आदेश आवश्यक नहीं है/पति/पत्नी का मृत्यु का प्रमाण–पत्र, यदि लागू होता है; पैपस के जन्म प्रमाणपत्र की प्रति/जन्म–तिथि का प्रमाण–पत्र, डॉक्टर से प्रमाणपत्र जो यह कहता है कि पैपस किसी भी दीर्घकालिक, संक्रामक या घातक बिमारी के शिकार नहीं हैं। और बच्चा दत्तकग्रहण लायक हैं।
,d ns'k ls nljs ns'k es xkn fy;k tkuk	आवेदक/आवेदकों की फोटो ओसीआई और विदेशी पैपस जो भारत मे रह रही है की गृह अध्ययन रिपोर्ट, पासपोर्ट; ओसीआई कार्ड, यदि लागू होता है जन्म प्रमाण–पत्र या निवास का प्रमाण पत्र; पिछले वेतन का प्रमाण पत्र (वेतन स्लिप, सरकार द्वारा जारी किया गया आय का प्रमाणपत्र/आयकर विवरण या डॉक्टर से प्रमाणपत्र जो यह कहता है कि पैपस किसी भी दीर्घकालिक, संक्रामक या घातक बीमारी के शिकार नहीं हैं। और बच्चा दत्तकग्रहण लायक हैं; नीति का प्रमाणपत्र जो पैपस के पूर्ववृत (बीते हुए जीवन के विवरण) स्थापित करता है, पति–पत्नी की शादी का प्रमाण–पत्र, तलाक के अदेश की प्रति/सक्षम कोर्ट द्वारा घोषणा, यदि तलाक निजी कानून द्वारा शासित है तो तलाक से सम्बंधित शपथ–पात्र/पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र यदि लागू होता है; यदि पति या पत्नी अकेले हैं तो सम्बन्धी द्वारा ली गयी शपथ; यदि ओसीआई/पैपस भारत में रह रहे हैं तो दूतावास से अनापत्ति का प्रमाणपत्र –दत्तकग्रहण के लिए और उसके बाद फॉलो–अप के लिए–यदि पैपस भारत से किसी और देश चले जाते हैं; समाज के दो आदरणीय सदस्यों द्वारा 2 संदर्भित चिट्ठियां; परिवार में जो बच्चा/बच्चे बड़े हैं उनकी सहमति (जो पांच वर्ष से अधिक के हैं); जो बड़ा बच्चा गोद लिया जा रहा है उसकी सहमति जिस देश में माता–पिता जा रहे हैं।

	उसकी स्वीकृति –हेग कन्वेंशन की धारा 5 या 17 के अनुसार, जो हेग समर्थित देश में लागू होता है; जो पैपस विदेश में रह रहे हैं उनके द्वारा ली गयी प्रतिज्ञा की वह अफआ या केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) या सम्बंधित सरकार या भारतीय राजदूत से किसी भी प्रतिनिधि द्वारा निजी मुलाकात की अनुमति देंगे जो बच्चे का फॉलो–अप कर रहा है जैसे दत्तकग्रहण के नियमों के अनुसार जरूरी है, यदि भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआईएस)/विदेशी पैपस भारत में रह रहे हैं यह प्रतिज्ञा की साआ या डीसीपीयू या सारा के प्रतिनिधि निजी मुलाकातें कर सकते हैं दत्तकग्रहण की तिथि से कम से कम 2 वर्ष तक या अफआ द्वारा प्रतिज्ञा कि वह 2 वर्ष तक बच्चे की प्रगति रिपोर्ट देते रहेंगे और यदि कोई बाधा आती है तो दूसरा इंतजाम करेंगे।
nlj: n'k e: fdlh fj'rnkj }kjk xkn fy, tku dh çfØ;k	i:thdj.k d: le; viykM fd;: tku oky: nLrkost&ऊपर दिया गए सभी दस्तावेज जो दूसरे देश में दत्तकग्रहण के लिए आवश्यक हैं। नीचे दिए गए अन्य दस्तावेज इस प्रकार हैं जिन्हे निर्दिष्ट करके अपलोड करना है। जन्म के परिवार में उस बच्चे की सहमति जो 5 वर्ष से अधिक आयु का है; जो बड़ा बच्चा गोद लिया जा रहा है उसकी सहमति; हेग एडॉप्शन कन्वेंशन (हेग समर्थित देश के मामले में लागू) की धारा 5 या 7 के अनुसार प्राप्त करने वाले देश की अनुमति; पैपस का सम्बंधित बच्चे से क्या रिश्ता है; बच्चे, उसे दत्तकग्रहण वाला माता–पिता और जन्म देने वाले माता–पिता की हाल की फोटो, एआर 2017 की XIX अनुसूची के अनुसार जन्म–देने वाले परिवार की सहमति; कानूनी अभिभावक को सीडब्ल्यूसी द्वारा दी गयी अनुमति कि वह बच्चे को गोद दे सकता है–जैसा एआर 2017 की अनुसूची XXII में कहा गया है, यदि लागू होता है; डीसीपीयू द्वारा परिवार के परिप्रेक्ष की रिपोर्ट जैसा एआर 2017 की अनुसूची XXI में कहा गया है।
viu: n'k e: fj'rnkj }kjk xkn fy, tku: fd çfØ;k	पैपस के निवास का प्रमाण–पत्र; पैपस के बड़े बच्चे की सहमति यदि बच्चा 5 वर्ष से अधिक है; जन्म देने वाले माता–पिता की सहमति जैसा एआर 2017 की अनुसूची XIX में लिखा है; सीडब्ल्यूसी से कानूनी अभिभावक को दी गयी अनुमति की वह बच्चे को रिश्तेदार को गोद दे रहा है जैसे एआर 2017 की अनुसूचित XXII में कहा गया है, यदि लागू होता है, पैपस द्वारा शपथ पत्र जो उनका रिश्ता दिखता है, वित्तीय और सामाजिक हैसियत जैसा एआर 2017 की अनुसूची XXIV में कहा गया है; न्यायलय से दत्तकग्रहण का आदेश।
lkSrsyh ekrk@firk }kjk xkn fy, tkuk	i:thdj.k d: le; viykM fd;: tku oky: nLrkost&जन्म देने वाली माता या पिता और उसके पति या पत्नी के निवास का प्रमाण–पत्र और साथ ही यह प्रमाण पत्र की वह कानूनी रूप से शादी–शुदा हैं; जन्म देने वाली माता, पिता या दोनों की सहमति, जो दस्तावेज जरूरी हैं उन्हें एआर 2017 की अनुसूची XX के अनुसार संलग्न करना है, यदि लागू होते हैं, न्यायलय से दत्तकग्रहण का आदेश।

- fo'k"k t:jrk okyh cPpk dk nÙkdxg.k% एआर का नियम 48 इन बच्चों के दत्तकग्रहण से सम्बंधित है। ऐसे बच्चों की विस्तृत सूची एआर 2017 की अनुसूचित XVIII में दी गयी है। यह सूची कारा की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है–www.cara.nic.in विशेष जरूरतों वाले बच्चों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के अंतर्गत रखा गया है–यह हैं– शारीरिक, मानसिक और तंत्रिका सम्बन्धी।
- cM: cPpk: vkj cgu&Hkkbl dk nÙkdxg.k% एआर 2017 का नियम 49 इन बच्चों के दत्तकग्रहण से सम्बंधित है।
- नियम के अनुसार, बड़ा बच्चा वह है जो पांच वर्ष का हो चुका है।
- ef'dy l: xkn fn, tku: okyh cPp% एआर 2017 का नियम 50 इन बच्चों के दत्तकग्रहण से समबन्धित है। नियम के अनुसार, ऐसे बच्चे वह होते हैं जिन्हे केरिंगस के माध्यम से बहुत लम्बे समय से कोई सन्दर्भ नहीं मिल रहा।
- lkSrsyh ekrk@firk }kjk nÙkdxg.k% एआर 2017 का नियम 52 इन बच्चों के दत्तकग्रहण के सम्बन्ध में है। दोनों (सौतेला पिता/सौतेली माता और जन्म देने वाली माता या पिता) केरिंगस में पंजीकरण कराएँगे और दत्तकग्रहण के लिए जरूरतों की अनुपालना करेंगे– निर्धारित प्रारूपों के अनुसार।

- nÙkdxg.k dk 'kYd– एआर 2017 के नियम 46 के अंतर्गत दत्तकग्रहण का खर्च जैसा कारा द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाता है, पैपस द्वारा उठाया जायेगा। क्यूंकि यह एक बदलता हुआ अंश है यह जरूरी है कि अभिभावक और पैपस कारा से संपर्क करें और जानकारी लेते रहें जब–जब आवश्यकता हो।

एआर 2017 के अनुसार दत्तकग्रहण का शुल्क साआ और कारा द्वारा सीधा पैपस से लिया जा सकता है –यदि वह भारत में रह रहे हैं और यदि कहीं और रह रहे हैं तो अधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अधिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग द्वारा, जैसा भी मामला है। साआ को अनुमति नहीं है कि वह पैपस से– निर्धारित शुल्क के आलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नगद या अन्य किसी रूप में दान ले। दत्तकग्रहण का शुल्क साआ और सीसीआई द्वारा आपस में बांटा जायेगा–उस अनुपात में जो निर्धारित किया गया है कारा के द्वारा।

nÙkdxg.k dh le{k pqukSfr;k¡

- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से बहुत लोगों को मुश्किलें होती हैं जिनके पास इंटरनेट तक पहुँच नहीं है या अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है।
- पैपस का कुछ विशेष बच्चों के प्रति झुकाव होता है और उनका चयन मुख्य रूप से इन बातों से प्रभावित होता है– उनका रंग–रूप, उनकी शारीरिक खासियतें और उनका स्वास्थ्य।
- दत्तकग्रहण की लम्बी अवधि जो कभी–कभी 4 वर्ष तक बढ़ जाती है उस फर्क को दर्शाती है जो उपस्थित है, दत्तकग्रहण वाले माता–पिता और उन बच्चों में जो गोद दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में 0–2 वर्ष की आयु में प्रति 2 बच्चों के लिए 169 पैपस हैं जिनका चयन किया गया है। पश्चिम बंगाल में प्रत्येक 20 बच्चों के लिए 597 पैपस हैं और दिल्ली में यह आंकड़े हैं: 12 बच्चे 750 पैपस के लिए।

e[; ckr

जेजे एक्ट, 2015 जो अनाथ, त्यागे हुए और समर्पित बच्चों को गोद दिए जाने से सम्बंधित है –चाहे वह किसी भी धर्म के हों; और गोद दिए जाने की प्रक्रिया के पूरे होने पर बच्चा उन माता–पिता का हो जाता है जो उसे गोद लेते हैं।

[1] Sengupta, Ananya, "Adoption Wait Grows as Kid Numbers Drop", *The Telegraph* (21 January 2015). Retrieved from http://www.telegraphindia.com/1150121/jsp/nation/story_9481.jsp#.Vrojzhh97lU

fo'o Hkj esa nÙkdxg.k dh çfØ;k

यह अध्याय उन देशों में गोद दिए जाने के प्रक्रियात्मक पहलुओं से निपटता है जिन्हें क्रमरहित तरीके से चुना गया है ताकि पाठकों को दुनिया भर में दत्तकग्रहण की प्रक्रिया का भी नजरिया हो।

v,LVfy;k

?kjy@LFkkuh; nÙkdxg.k

इस देश के प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में अपना स्वयं का विधान है जो घरेलु/स्थानीय दत्तकग्रहण से निपटता है जिसे सम्बंधित राज्य या क्षेत्रीय अधिकरण द्वारा निपटा जाता है। ऐसे बच्चे की अभिभाविकता जिसका दत्तकग्रहण किया जाना है और जिसके लिए सहमति ली जा चुकी है, विभाग के पास रहती है, जो उस राज्य या क्षेत्र के लिए इस मुद्दे से निपट रहा है। कुछ अनुमोदित गैर सरकारी दत्तकग्रहण की अधिकरण भी हैं जिनके मुख्य अफसर बच्चे की अभिभाविकता अपने पास रखते हैं।

यह अभिभाविकता तब तक प्रभाव में रहती है जब तकः

- दत्तकग्रहण का आदेश न बन जाये या
- दत्तकग्रहण को दी गयी सहमति वापस ना ले ली जाये या
- कुछ विशेष घटनाओं के होने पर (उदाहरण के लिए जब एक उचित रिश्तेदार बच्चे की देखरेख करने को तैयार है)

ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति एक ऐसे बच्चे का दत्तकग्रहण ले सकता है जिसे वह पहले से ही जानता है और इसे ^tkus g, cPp^ dk nÙkdxg.k कहते हैं। दत्तकग्रहण के यह मामले उस विभाग द्वारा देखे जाते हैं जो प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में दत्तकग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं।

- ऐसे अधिकांश मामले सौतेले माता–पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामले होते हैं या उन व्यक्तियों द्वारा दत्तकग्रहण जो बहुत समय से बच्चे की देखरेख कर रहे हैं। ऐसे दत्तकग्रहण से, बच्चे की कानूनी स्तिथि स्पष्ट हो जाती है और एक नए परिवार में उसका स्थान बनता है।
- सौतेले माता–पिता के आलावा दत्तकग्रहण की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया में प्रोत्साहित नहीं की जाती। यह केवल असाधारण परिस्तिथियों में किया जाता है जब बच्चे की भलाई माता–पिता के अंदर सुरक्षित नहीं होती।

vrj&ns'k nÙkdxg.k

ऑस्ट्रेलिया का नागिरक या वहां के स्थाई निवासी सम्बंधित प्राधिकरण के माध्यम से विदेश से बच्चा दत्तकग्रहण ले सकते हैं –ऑस्ट्रेलिया के राज्य या क्षेत्र में, और हेग कन्वेंशन के मानकों के अनुसार।

अंतर–देश दत्तकग्रहण में जो विभिन्न प्रक्रियां हैं, जिनमें कुछ स्थानीय विविधतता हो सकती है, नीचे फ्लो चार्ट में दिखाए गए हैं:

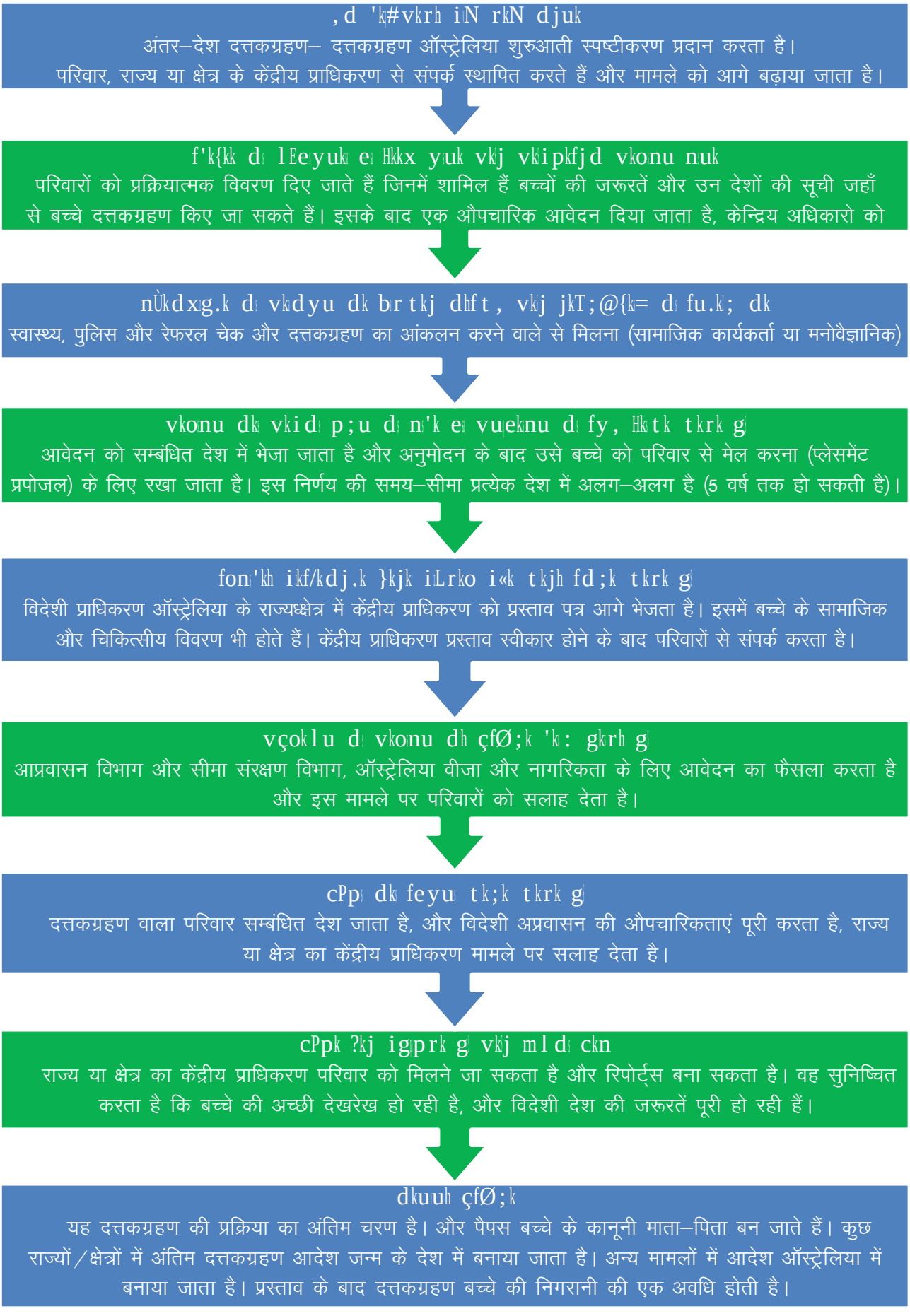

,d 'k#vkrh iN rkN djuk

अंतर–देश दत्तकग्रहण– दत्तकग्रहण ऑस्ट्रेलिया शुरुआती स्पष्टीकरण प्रदान करता है।
परिवार, राज्य या क्षेत्र के केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क स्थापित करते हैं और मामले को आगे बढ़ाया जाता है।

f'k{kk d lEeyuk e Hkkx yuk vkj vkipkfjd vkonu nuk

परिवारों को प्रक्रियात्मक विवरण दिए जाते हैं जिनमें शामिल हैं बच्चों की जरूरतें और उन देशों की सूची जहाँ से बच्चे दत्तकग्रहण किए जा सकते हैं। इसके बाद एक औपचारिक आवेदन दिया जाता है, केन्द्रिय अधिकारो को

nÙkdxg.k d vkdyu dk bartkj dhft, vkj jkT;@{k= d fu.k; dk

स्वास्थ्य, पुलिस और रेफरल चेक और दत्तकग्रहण का आंकलन करने वाले से मिलना (सामाजिक कार्यकर्ता या मनोवैज्ञानिक)

vkonu dk vkid p;u d n'k e vueknu d fy, Hktk tkrk g

आवेदन को सम्बंधित देश में भेजा जाता है और अनुमोदन के बाद उसे बच्चे को परिवार से मेल करना (प्लेसमेंट प्रपोजल) के लिए रखा जाता है। इस निर्णय की समय–सीमा प्रत्येक देश में अलग–अलग है (5 वर्ष तक हो सकती है)।

fon'kh ikf/kdj.k }kjk iLrko i«k tkjh fd;k tkrk g

विदेशी प्राधिकरण ऑस्ट्रेलिया के राज्यक्षेत्र में केंद्रीय प्राधिकरण को प्रस्ताव पत्र आगे भेजता है। इसमें बच्चे के सामाजिक और चिकित्सीय विवरण भी होते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद परिवारों से संपर्क करता है।

vçoklu d vkonu dh çfØ;k 'k: gkrh g

आप्रवासन विभाग और सीमा संरक्षण विभाग, ऑस्ट्रेलिया वीजा और नागरिकता के लिए आवेदन का फैसला करता है और इस मामले पर परिवारों को सलाह देता है।

cPp dk feyu tk;k tkrk g

दत्तकग्रहण वाला परिवार सम्बंधित देश जाता है, और विदेशी अप्रवासन की औपचारिकताएं पूरी करता है, राज्य या क्षेत्र का केंद्रीय प्राधिकरण मामले पर सलाह देता है।

cPpk ?kj igpkrk g vkj mld ckn

राज्य या क्षेत्र का केंद्रीय प्राधिकरण परिवार को मिलने जा सकता है और रिपोर्ट्स बना सकता है। वह सुनिष्चित करता है कि बच्चे की अच्छी देखरेख हो रही है, और विदेशी देश की जरूरतें पूरी हो रही हैं।

dkuuh çfØ;k

यह दत्तकग्रहण की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। और पैपस बच्चे के कानूनी माता–पिता बन जाते हैं। कुछ राज्यों/क्षेत्रों में अंतिम दत्तकग्रहण आदेश जन्म के देश में बनाया जाता है। अन्य मामलों में आदेश ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाता है। प्रस्ताव के बाद दत्तकग्रहण बच्चे की निगरानी की एक अवधि होती है।

nf{k.k vÝhdk

jk"Vªh; nÙkdxzg.k

दक्षिण अफ्रीका में दत्तकग्रहण या तो एक प्रमाणित दत्तकग्रहण अधिकरण द्वारा किया जाता है या दत्तकग्रहण के क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से जो कानूनी प्रमाणित दत्तकग्रहण प्रणाली के अंतर्गत काम कर रहा है। दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को नीचे समझाया गया है:

vkonu ekU;rk çkIr nÙkdxzg.k vf/kdj.k dks tek fd;k x;k

LØhfuax vkSj rS;kjh dh çfØ;k
इसमें शामिल है घरेलू विजिट, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आंकलन, पुलिस जॉच आदि।

ikSi l dh izrh{kk lwph
माता–पिता की इच्छा उस बच्चे के बारे में जिसे वे अपनाना चाहते हैं।

cPpks vkSj ikSil dk feyku vkSj cPps ls feyuk
बच्चों को माता–पिता से मेल किया जाता है इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि उन्हे कैसा वच्चा चाहिए

dkuwuh çfØ;k
बच्चे को अंत में पैपस के साथ रखा जाता है –बच्चों के न्यायलय में एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से और बच्चे के लाभों को देखते हुए।

varj&ns'k nÙkdxzg.k

दक्षिण अफ्रीका में अंतर–देश दत्तकग्रहण बालक अधिनियम 38, 2005 (अध्याय 18) के प्रावधानों से शासित है। क्यूंकि इस देश ने हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये हैं, यह उसके प्रावधानों से निर्देश पता है। नीचे वह शर्तें दी गयी हैं जिनके अंतर्गत यह दत्तकग्रहण किये जाते हैं।

- यह दत्तकग्रहण दो संस्थाओं के बीच एक कार्यकाजी संधि के अंतर्गत किये जाने चाहियें। एक संस्था दत्तकग्रहण वाले देश में होनी चाहिए और दूसरी जहाँ से बच्चा गोद लिया गया। इन संधियों को दोनों प्राधिकरणों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए– दक्षिण अफ्रीका केंद्रीय प्राधिकरण और प्राप्त करने वाले देश का केंद्रीय प्राधिकरण।
- गैर दक्षिण अफ्रीका के नागरिक, जो दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं गोद ले सकते हैं यदि वह कम–से–कम वहां 5 साल से रह रहे हैं।
- दक्षिण अफ्रीका का एक नागरिक जो विदेश में कम समय के लिए रह रहा है उसे दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क करना पड़ेगा यदि उसे अधिक जानकारी चाहिए तो।
- दक्षिण अफ्रीका का नागरिक जो स्थाई रूप से विदेश में रह रहा है उसे उपर दी गयी पहली शर्तें पूरी करनी होंगी। दत्तकग्रहण से सम्बंधित सभी मामलों के लिए दक्षिण अफ्रीका केंद्रीय प्राधिकरण मुख्य अधिकरण है।

;wukbVsM fdaxMe

यूके में दत्तकग्रहण से सम्बंधित कुछ मुख्य पहलू नीचे दिए गए हैं:

cPpks ds fy, ykxw 'krsa

- जब दत्तकग्रहण का आवेदन दिया जा रहा है तो बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।
- बच्चे की शादी नहीं हुई होनी चाहिए या वह कभी भी किसी रिश्ते में नहीं होना चाहिए।

cPp: d: tUe nu: oky: ekrk&firk

सामान्य परिस्तिथियों में माता और पिता दोनों की सहमति चाहिए होती है लेकिन यह तब जरूरी नहीं है जबः

- माता–पिता का पता नहीं होता
- वह सहमति देने की स्थित में नहीं होते, जैसे मानसिक असंतुलन की स्थित।
- यदि बच्चे को गोद नहीं लिया गया तो उसकी जान खतरे में होगी।

i:i l d: fy, ;kX;rk dh 'krs

कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से अधिक आयु का है (ऊपर की आयु की कोई सीमा नहीं है) और नीचे दी गयी कोई भी शर्त पूरी करता है, वह बच्चा गोद ले सकता हैः

- वह अकेला है
- वह शादी–शुदा है
- वह रिश्ते में है
- गैर शादी–शुदा जोड़ी (एक ही लिंग या अलग–अलग लिंग के)
- बच्चे के माता या पिता का साझीदार

ukxfjdrk

बच्चे को दत्तकग्रहण के लिए ब्रिटैन की नागरिकता आवश्यक नहीं है। परन्तु नीचे दी गयी शर्तें पूरी होनी चाहियेंः

- दत्तकग्रहण वाले माता पिता (या साझीदार यदि पैप युगल है) का यूके, चौनल इसलैंड्स या आइल ऑफ मैन में स्थिर और स्थाई घर होना चाहिए।
- दत्तकग्रहण वाले माता पिता (या साझीदार यदि पैप युगल है) को आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यूके में कम से–कम एक साल रहा होना चाहिए।

;w,l,

?kjsy: nÙkdxzg.k

घरेलू रूप से दत्तकग्रहण के मामले या तो निजी और सार्वजानिक दत्तकग्रहण एजेंसियों या स्वतंत्र रूप से वकीलों द्वारा निपटाये जाते हैं, जैसे नीचे तलिका में समझाया गया है।

lkoZtfud nÙkdxzg.k vf/kdj.k	यह संसाधन उन बच्चों को दत्तकग्रहण में मदद करती हैं जो पालन देखरेख के अंदर हैं। सरकार से जुडी वेबसाइट– www.aboutkids.org. पैपस से उन बच्चों की जानकारी साझा करती है जो पालन–देखरेख के अंदर हैं। यूएस में पालन–देखरेख के अंदर जो बच्चे हैं उनके दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में यह कदम आते हैंः **igyk dne%** पैपस **lwpuk l= iwoZ çf'k{k.k** पाते हैं–जो आवेदन की प्रक्रिया या उससे पहले शुरू होता है। प्रशिक्षण 4–20 बैठकों में पूरा किया जाता है, इसमें माता–पिता बच्चे को अच्छी तरह समझ पाते हैं जिससे बच्चा परिवार में ठीक से समावेश हो जाता है। **nwljk dne%** दूसरा कदम **vkosnu dh çfØ;k** है जिसके दौरान पैपस अपने नियोजकों या जान–पहचान के व्यक्तियों से सन्दर्भ की चिट्ठियां देते हैं, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, न्यूनतम आयु पूरा करने की शर्त और आय का प्रमाणीकरण।

	dne 3% मामला कार्यकर्ता द्वारा पालन–देखरेख xg v/;;u fjiksVZ बनायीं जाती है। रिपोर्ट में परिवार का परिप्रेक्ष्य, उनके कथन, उनकी शिक्षा और वह कहाँ काम करते हैं, उनकी रिश्तेदारी और सामाजिक जीवन, उनकी रोजमर्रा, उनके माता–पिता के जैसे कार्य करने के अनुभव, उनके पड़ोसी, वह बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं और अनुमोदन और संस्तुतियां। dne 4% पैपस को nÙkdxzg.k dk vuqeksnu मिल जाता है। dne 5% इसे ifjokj ds ckjs esa Þlwpukß कहते हैं जिसमें पैपस यह तय करते हैं कि वह किस तरह का बच्चा दत्तकग्रहण चाहते हैं– जैसे– बड़ा बच्चा, बहन–भाई, अलग अलग देश के बच्चे, आदि। dne 6% इसमें पैपस का cPpk ls esy fd;k tkrk gS। dne 7% इसमें बच्चे को vfUre :i ls xksn ysus okys ekrk&firk के परिवार में शारीरिक रूप से भेजा जाता है। dne 8% इसे कहते हैं nÙkdxzg.k dk dkuwuh :i nsuk जो कदम 7 के कई महीनों बाद पूरा होता है। इस अवधि में मामला कार्यकर्ता स्थानन के बाद की निगरानी करते हैं और नियमित रूप से न्यायलय को रिपोर्ट करते हैं। प्रक्रिया तब समाप्त होती है जब न्यायलय दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को कानूनी रूप देता है और माता–पिता सदा के लिए बच्चे को प्राप्त कर लेते हैं।
futh nÙkdxzg.k dh lalk/ku	यह संसाधन आमतौर पर बहुत छोटे (दुधमुहे) बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया में सहायता करती हैं।
Lora= vf/kdj.k	इन प्रक्रियाओं में नव–जात बच्चे गोद दिए जाते हैं और वकील की सहायता से होते हैं। केवल 5 राज्यों के आलावा, यानि, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेर, मैसाचुसेट्स और नार्थ डकोटा, अन्य सभी राज्य स्वतंत्र दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को अनुमति देते हैं। इस प्रणाली की मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं: • यह एक लचीली प्रणाली है जिसमें जन्म देने वाले माता पिता और दत्तकग्रहण वाले माता–पिता स्वतंत्र रूप से मिल सकते हैं और सही चयन कर सकते हैं। इस प्रणाली में बच्चा उन माता पिता के पास तुरंत जा सकता है जो उसे गोद ले रहे हैं। • जन्म देने वाली माता, दत्तकग्रहण वाले माता–पिता का चयन उनके धर्म, आयु, काम, उनकी शादी को कितने साल हुए, आदि, के आधार पर कर सकती है। • अन्य दत्तकग्रहण की प्रक्रियाओं के जैसे, इसमें भी गृह अध्ययन की जाती है। • इसके लिए जन्म देने वाली माता की सहमति बहुत आवश्यक है।

varj&ns'kh; nÙkdxzg.k

यूएस में दूसरे देश से दत्तकग्रहण की प्रक्रिया दो प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है– हेग कन्वेंशन प्रणाली (यदि दूसरा देश हेग कन्वेंशन का भाग है) और गैर हेग कन्वेंशन प्रणाली (यदि दूसरा देश हेग कन्वेंशन में भागीदार नहीं है) पहली प्रक्रिया में 90 देश कवर होते हैं जिनमें भारत भी शामिल है। दूसरी प्रक्रिया के अंदर, गैर कन्वेंशन के देशों को इमीग्रेशन एंड नेशनॅलिटी एक्ट (आईएनए) के अंतर्गत अनाथ बच्चे की परिभाषा पूरी करनी चाहिए।

यूएस कानून के अंतर्गत, गोद लिए बच्चे का दत्तकग्रहण वाले माता पिता से वही रिश्ता होना चाहिए और वही हैसियत प्राप्त होनी चाहिए जो एक जन्म–सिद्ध बच्चे का होता है। इसलिए, यूएस कानून के अंदर दत्तकग्रहण को अभिभाविकता अधिक माना जाता है, विशेषकर अप्रवासन के उद्देश्यों से।

vkb,u, d vrxr vukFk cPp dh ifjHkk"kk% एक बच्चे को अनाथ तब माना जा सकता है जब उसे जन्म देने वाले माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है, वह कहीं चले गए हैं, उन्होंने उसे त्याग दिया है या वह उनसे अलग हो गया है या खो गया है। एक अनब्याही माँ का बच्चा या माता या पिता का बच्चा अनाथ माना जा सकता है यदि वह बच्चे की ठीक से देखरेख नहीं कर सकता और उसने लिखित रूप से बच्चे को हमेशा के लिए उत्प्रवासन या गोद दे दिया है। एक अनब्याही माँ का बच्चे को तब अनाथ माना जा सकता है tc rd og 'kknh ugh djrh (जिस मामले में बच्चे का सौतेला पिता हो जायेगा) और जब तक बच्चे के असली पिता ने कानूनी रूप से बच्चे को स्वीकारा नहीं है। यदि पिता को कानूनी वैधता दे देता है या माँ दोबारा शादी कर लेती है, तो माँ को अकेला अभिभावक नहीं माना जाता। अकेले माता या पिता के बच्चा भी अनाथ कहा जा सकता है यदि उस माता या पिता ने शादी नहीं की है (जिससे बच्चे के सौतेला पिता या माता हो जाएगी)

अंतर–देश दत्तकग्रहण में जो कदम हैं वह नीचे दिए गए हैं:

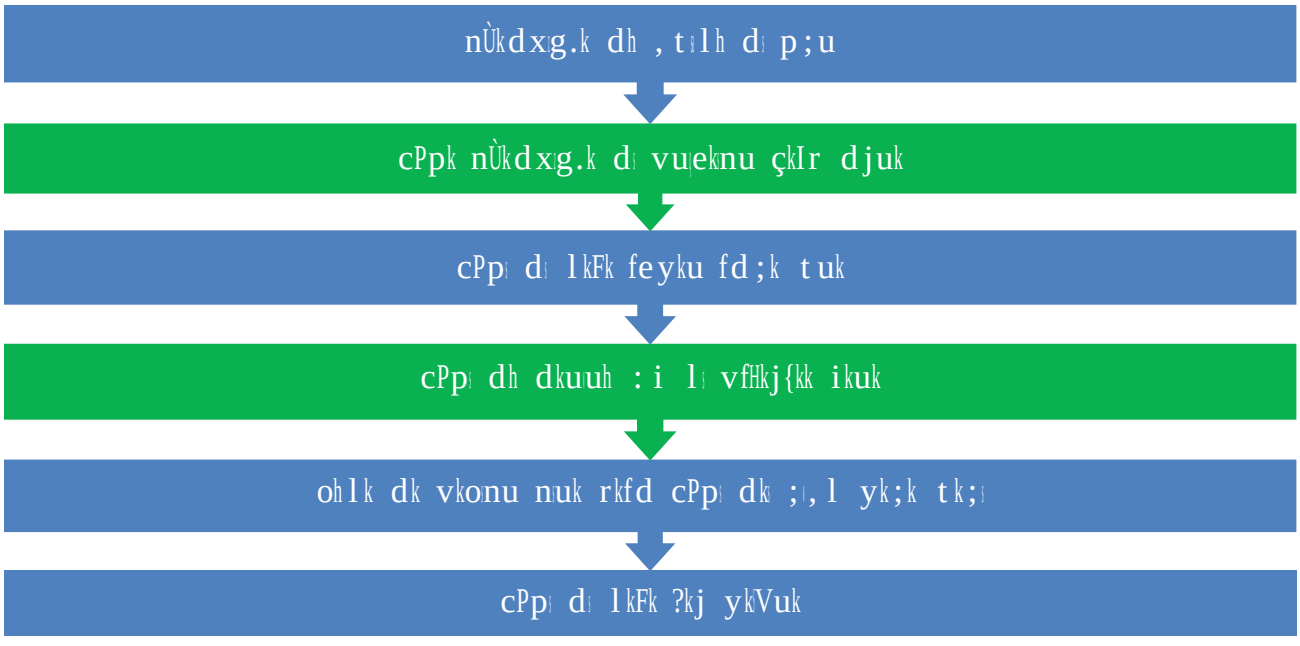

e[; ckr | ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूके और यूएस के उदाहरण यह दिखाते हैं की दत्तकग्रहण की प्रक्रियाएं देश के अंदर और देश के बाहर –दोनों स्तिथियों में– दत्तकग्रहण से निपटती हैं।

nÙkdxg.k oky ekrk&firk dk D;k djuk pkfg, vkj D;k ugh

D;k djuk pkfg,

- बच्चों को दत्तकग्रहण एक कानूनी प्रक्रिया है। इसलिए, यह जरूरी है कि पैपस देश के कानून का अनुसरण करें।
- पैपस को दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के लिए सही अधिकरण के पास जाना चाहिए जैसा कानून में लिखा हो।
- दत्तकग्रहण की प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी हमेशा सटीक रूप से दी जानी चाहिए।
- यदि भुगतान होना है तो उसे दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- यदि दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के दौरान सहायता चाहिए तो उसे अधिकृत प्रतिनिधियों से लेना चाहिए।

D;k ugh djuk pkfg,

- पैपस को दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के लिए अस्पतालों, प्रसूति अस्पतालों या अनधिकृत संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए।
- उस भुगतान के आलावा और कोई भुगतान नहीं करिये जो दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में करना होता है।
- अपने द्वारा गोद लिए बच्चे की बेहतरी के विरुद्ध कोई काम नहीं करिये क्यूंकि इससे उसके भविष्य पर असर हो सकता है।
- दत्तकग्रहण की प्रक्रिया पर निर्णय लेने की क्रिया में अपनी निजी प्राथमिकताओं या पूर्वाग्रहों को आड़े नहीं आने दें–इससे दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में और विलम्ब हो सकता है।

e[; ckr भावी पैपस को गोद लिए बच्चे की बेहतरी पर ध्यान देना चाहिए और इसलिए दत्तकग्रहण की प्रक्रिया की कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।

vuqyXud 1% jkT; nÙkdxzg.k lalk/ku ikf/kdj.k ¼lkjk½ dh Hkwfedk

सारा राज्य सरकार के कार्यकारी कामों को करेगी जैसे दत्तकग्रहण के प्रोग्राम को प्रोत्साहन देना, उसे आसान बनाना, उसकी निगरानी करना और उसका नियंत्रण करना औरः

क) बच्चों की देखरेख की संस्थाओं की संस्तुति करना कि उन्हें जिले में विशेष अधिकरण के रूप में पहचान मिले।

ख) राज्य में साआ के संपर्क विवरण कम से कम साल में एक बार छापना।

ग) साआ की मान्यता का नवीकरण करने की संस्तुति करना –प्रत्येक 5 वर्षों में–बशर्ते कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा हो।

घ) साआ की बैठके करवाना–त्रैमासिक आधार पर–ताकि दत्तकग्रहण से सम्बंधित मामलों को सम्बोधित किया जा सके और इन बैठक में हुई बातों को केरिंगस में अपलोड करना।

ड़) दत्तकग्रहण के कार्यक्रम को जांचना और उसकी निगरानी करना और सभी साआ की, जो उसके क्षेत्राधिकार में आती हैं;

च) उन एजेंसियों की पहचान करना जिन्हे साआ की मान्यता प्राप्त नहीं है और उन्हें इनसे जोड़ना ताकि इन संस्थाओं के बच्चे भी अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत गोद दिए जा सकें।

छ) अनाथ, त्यागे हुए एयर समर्पित बच्चों को दत्तकग्रहण के मानक और उपाय लागू करना, जैसा नियम में सोचा गया है या उसके अंतर्गत बनाये नियमों और विनियमों के अंतर्गत।

ज) साआ या बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की पहचान करना जिनके पास क्षमता है कि वह बच्चों की अच्छी देखरेख कर सकें और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को लम्बे समय की देखरेख दे सकें जिनमें शामिल हैं बच्चे जो एचआईवी/एड्स से प्रभावित हैं और मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे और इनका इन एजेंसियों में हस्तांतरण।

झ) उपाय करना जिन्हें राज्य में दत्तकग्रहण कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जैसे ज्ञान के आधार को बढ़ाना, अनुसंन्धन और प्रलेखीकरण, बच्चों की पहचान की प्रणाली को मजबूत बनाना, प्रशिक्षण और क्षमता बनाने की गतिविधियां, प्रचार और जागरूकता की गतिविधियां, वकालत और संचार, निगरानी और आंकलन।

ञ) केरिंगस में जो डाटा दिया गया है उसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण करना–सीडब्ल्यूसी द्वारा–अधिनियम की धारा 38 की उप–धारा (5) के अंतर्गत।

ट) यह सुनिष्चित करना कि राज्य में सभी दत्तकग्रहण की प्रक्रियाएं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उसके अंतर्गत नियमों और अधिनियमों के अनुसार की गयी है।

ठ) केरिंगस में साआ का प्रोफाइल अपडेट करना जैसा अधिनियम की धारा 65 की उप–धारा (2) में आवश्यक है।

ड) जिले की सीसीआई, सीडब्ल्यूसी और सारा के विवरणों को केरिंगस पर नियमित रूप से नवीनतम करना।

ढ) केरिंगस में उन बच्चों का राज्य विशेष विवरण रखना जो दत्तकग्रहण लायक हैं, उन माता–पिता का जो गोद ले सकते हैं, और वह बच्चे जो दूसरे देशों में गोद दिए जा सकते हैं।

ण) व्यावसायिक रूप से योग्य या सामाजिक रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की सूची बनाना और एक परामर्शी केंद्र बनाना जो डीसीपीयू, साआ या सीसीआई की सहायता करे, जहाँ भी आवश्यक हो, इन सब के लिए:

i) भावी पैपस के लिए परामर्श और गृह अध्ययन रिपोर्ट को बनाना;

ii) बाल अध्ययन रिपोर्ट को बनाना और जब भी जरुरत पड़े बड़े बच्चों को सलाह देना;

iii) दत्तकग्रहण के बाद देखरेख रिपोर्ट बनाना;

iv) दूसरे देश में दत्तकग्रहण के मामले में परिवार के परिप्रेक्ष्य की रिपोर्ट बनाना;

v) गोद लिए बच्चों और पैपस को दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के बाद सलाह देना;

vi) गोद लिए गए बड़े बच्चों को उनके जन्म देने वाले माता–पिता के बारे में पता लगाने में सहायता देना;

vii) प्राधिकरण द्वारा उन कामों को करना जो उन्हें समय–समय पर सौंपे जाते हैं;

स्रोतः दत्तकग्रहण के नियम 2017

अनुलग्नक 2: विशेष दत्तकग्रहण संसाधन के कार्य

विशेष दत्तकग्रहण अधिकरण नीचे दिए गए कार्य करेगी, उनके आलावा जो उन्हें अधिनियमों के अंतर्गत करने होते हैं, ताकि अनाथ, त्यागे हुए और समर्पित बच्चों को गोद दिए जाने में इस प्रकार सहायता दी जा सके:

(1) बच्चों के प्रति कार्य: प्रत्येक विशेष दत्तकग्रहण अधिकरण:

क) अपने दायित्व के अंदर प्रत्येक बच्चे की देखरेख, सुरक्षा और भलाई की जिम्मेदार होगी, उनकी स्वास्थ्य की जरूरतों, उनकी मनोवैज्ञानिक और भावात्मक जरूरतों के लिए, शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरतें, मनोरंजन की जरूरतें, किसी भी प्रकार के शोषण, लापरवाही से बचाव, उनको समाज का हिस्सा बनाना या सहायता करना।

ख) दाखिला, पुनर्वास, हस्तांतरण, मृत्यु और दत्तकग्रहण के सभी मामले रिपोर्ट करना और यदि कोई बच्चा संस्था से गायब हैं उसकी रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू, सारा, निर्धारित मंच और पुलिस को देना।

ग) प्रत्येक अनाथ बच्चे, त्यागे हुए बच्चे और समर्पित बच्चे की स्थित केरिंगस पर प्रस्तुत करना जो इस वेबसाइट पर है– www.cara.nic.in

घ) सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र को अपलोड करना जो बच्चे को कानूनी रूप से दत्तकग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करता है –प्रमाण पत्र मिलने के 48 घंटों के अंदर।

ड़) सभी अनाथ, त्यागे हुए और समर्पित बच्चों की बाल अध्ययन रिपोर्ट अपने सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से तैयार करना और उन्हें केरिंगस में अपलोड करना, सात दिनों के अंदर जब से उन्हें सीडब्ल्यूसी द्वारा कानूनी रूप से वैद्य घोषित किया जाता है।

च) जैसा अनुसूची IV में प्रदान किया गया है उनकी डॉक्टरी जांच का प्रबंध करना, उन सभी बच्चों के लिए जो उनके यहाँ दाखिल हैं और उस दिन से सात दिनों के अंदर बच्चों के डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट तैयार करना जब से उन बच्चों को कानूनी रूप से दत्तकग्रहण के लिए वैद्य घोषित किया जाता है।

छ) बच्चे की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे के लिए निजी देखरेख की योजना बनाना और प्राथमिकता के नीचे दिए गए क्रम में उन्हें देखरेख प्रदान करना:

(i) उन्हें उनके जन्म देने वाले माता–पिता के पास पहुँचाना या कानूनी अभिरक्षक के पास;
(ii) देश के अंदर उन्हें किसी को गोद देना;
(iii) किसी दूसरे देश में उन्हें गोद देना;
(iv) पालन–देखरेख और
(v) संस्थागत देखरेख

ज) एक यादों की एल्बम बनाना, जिसमें उस बच्चे की फोटो हो, उसके जीवन के विवरण (उसे समर्पित करने वाले माता–पिता के विवरण नहीं होने चाहियें) और बच्चे की रुचियाँ, इस एल्बम को दत्तकग्रहण वाले परिवार को दिया जायेगा उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ जब उसे भावी पैपस को दिया जा रहा है।

झ) प्रयत्न करना की प्रत्येक बच्चे को गोद दिया जाये जिसे कानूनी रूप से वैद्य और स्वतंत्र घोषित किया गया है।

ञ) भावी पैपस के प्रति बच्चे के सन्दर्भ की क्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी।

ट) प्रत्येक गोद देने लायक बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से तैययर करना की वह उस परिवार में घुल–मिल जाये जहाँ उसे गोद लिए जा रहा है।

ठ) बच्चे का भावी पैपस से मेल–जोल करना, जहां भी ऐसी जरुरत है।

ड) यह सुनिष्चित करना कि जहाँ तक संभव हो भाई–बहन या जुड़वाँ बच्चों को एक ही परिवार में दिया जाये।

ढ) दत्तकग्रहण के विवरण को इस प्रकार संजो कर रखने की यह विवरण केवल अधिकृत व्यक्तियों की पहुँच में रहे।

ण) बड़े बच्चों द्वारा उन्हें जन्म देने वाले माता–पिता को खोजने में सहायता करना जैसे अधिनियम 44 में कहा गया है।

(2) जन्म देने वाला माता–पिता के प्रति जिम्मेदारीः प्रत्येक विशेष दत्तकग्रहण अधिकरण यह सब करेगीः

क) समर्पित बच्चे के वास्तविक माता–पिता का समर्पण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान आदर करना।

ख) अनब्याही माँ और जन्म देने वाले माता–पिता के विवरण गुप्त रखना।

ग) समर्पण करने वाले माता–पिता को सलाह देना और उन्हें बताना की भविष्य में उनका बच्चा उनके बारे में खोज कर सकता है।

घ) जो जन्म देने वाले माता–पिता हैं उन्हें प्रोत्साहन देना कि वह बच्चे के पिछले स्वास्थ्य और अपने खुद के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दें।

ड़) माता–पिता को अपना बच्चा समर्पित करने के निहितार्थ समझाएं और यह सम्भावना की उसे दूसरे देश में भेजा जा सकता है।

च) यह सुनिष्चित करे कि समर्पण और गोद देने की सहमति माता–पिता द्वारा बिना किसी दबाव या आर्थिक लोभ या अन्य किसी लोभ के कारण दी गयी।

छ) बच्चे के जन्म से पहले माता–पिता के साथ कोई प्रतिज्ञा या संधि नहीं है।

ज) माता–पिता को जानकारी देना की उनके पास 60 दिनों की अवधि होगी जिसके अंदर वह बच्चे को वापस ले पाएंगे।

(3) पैपस के प्रति कार्यः प्रत्येक विशेष दत्तकग्रहण अधिकरण यह सब कार्य करेगीः

क) भावी पैपस को सम्मान देना और उनके साथ नम्रता से पेश आना और उन्हें सलाह देना।

ख) केरिंगस में भावी पैपस का पंजीकरण आसान करना यदि उन्हें किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

ग) एक अधिकृत व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से भावी पैपस को सलाह देना ताकि उन्हें दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के बारे में पता चले, और यह जानना कि वह इन सबके बारे में कितने तैयार हैं।

(i) अपने परिवार में बढ़ोतरी करने के लिए दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के बारे में कितने तैयार हैं;

(ii) लड़की दत्तकग्रहण चाहेंगे या लड़का;

(iii) असंबंधित बच्चे को भावात्मक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं;

(iv) बच्चे के सामाजिक परिवेश और आनुवांशिक कारकों की चिंता;

(v) अनुशासन के बारे में क्या विचार हैं और माता–पिता की भूमिका कैसे निभाएंगे;

(vi) बच्चे के बड़े होने पर क्या बच्चे को बताएँगे की उन्होंने उसे गोद लिया था;

(vii) यदि बच्चा अपने जन्म देने वाले माता–पिता की खोज करेगा तो आपका क्या रवैय्या रहेगा

(viii) कोई अन्य मुद्दा जो मेल–जोल के दौरान उठ सकता है;

घ) भावी माता–पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी करना जिन्होंने उसका विकल्प लिया है– पंजीकरण के एक महीने के अंदर और जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अंदर

ड़) भावी पैपस को लगातार वर्तमान स्थित के बारे में जानकारी देना और दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के दौरान क्या–क्या करना होगा उसकी जानकारी देना

च) भावी पैपस को बच्चों के वीडियो के अंश दिखाना और उन्हें उनके साथ वीडियो कॉल करने की सुविधा देना

छ) भावी पैपस को एक बच्चे का डॉक्टरी इतिहास बताना और यदि बच्चा विशेष जरूरतों वाला है तो बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति बताना।

ज) प्रतिरक्षण का विवरण और हाल की डायग्नोस्टिक (निदानार्थ) रिपोर्ट, यादों की एल्बम प्रदान करना और कोई भी जरूरी सूचना जो बच्चे से सम्बंधित है जिसमें शामिल है उसके खाने की आदतें और सामाजिक आदतें।

झ) न्यायलय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रति और जन्म प्रमाण–पत्र या शपथ पत्र भी भावी पैपस को दिया जायेगा जैसे जैसे वह उपलब्ध होगा;

ञ) औपचारिकता होने के बाद और सभी प्रक्रियात्मक प्रक्रियाओं के पूरे होने के बाद बच्चे को पालन देखरेख में रखना।

ट) गोद देने की बाद की क्रियाओं को बढ़ाना जिनमें शामिल हैं भावी पैपस को सलाह देना।

ठ) कोई भुगतान प्राप्त नहीं करना उसके आलावा जो प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्धारित है।

ड) भावी पैपस को सलाह देना की वह पैप परिवारों से संपर्क करें की वह दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को समझें।

(4) सलाह देने से सम्बंधित कार्यः विशेष दत्तकग्रहण अधिकरण के कार्यों में शामिल है यह सबः

क) समर्पण के मामले में जन्म देने वाले माता–पिता को सलाह देना;

ख) भावी माता पिता को दत्तकग्रहण की प्रक्रिया से पहले सलाह देना–गृह अध्ययन रिपोर्ट बनाने के दौरान और उन्हें सलाह के केंद्र से जोड़ना या सारा या डीसीपीयू, जहाँ भी जरुरत हो;

ग) बड़े बच्चो को दत्तकग्रहण से पहले और बाद में सलाह देना;

घ) पैपस को सलाह देना जब भी आवश्यक हो;

ड़) जब गोद लिए गए बच्चे आपसे संपर्क करते हैं अपने जन्म देने वाले माता–पिता को ढूंढ़ने में तो उन्हें सलाह देना;

(5) प्रत्येक विशेष दत्तकग्रहण अधिकरण अपना स्वयं का घर स्थापित करेगी –त्यागे हुए बच्चों को प्राप्त करने के लिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और महिलाओं के अल्प–अवधि के स्वाधार घरों में पालने की सुविधा स्थापित कर सकते हैं।

(6) प्रलेखीकरण और विवरण रखना:

क) प्राधिकरण का केरिंगस वेब मंच वह डेटाबेस और पंजीकरण प्रणाली होगी जिसे सभी राज्यों की दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई विशेष दत्तकग्रहण एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रूप से दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जायेगा।

ख) प्रत्येक विशेष दत्तकग्रहण अधिकरण प्रत्येक बच्चे के लिए एक निजी योजना बनाएगी जो आयु और लिंग की जरूरतों पर आधारित होगी, यानि:

(i) स्वास्थ्य और चिकित्सीय जरूरतें;
(ii) भावात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतें;
(iii) शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरतें;
(iv) मनोरंजन, कल्पनात्मक और खेल–कूद की जरूरतें;
(v) रिश्तेदारी और लगाव;
(vi) सभी प्रकार के शोषण, बुरे व्यवहार और तिरस्कार से बचाव;
(vii) पुनर्वासन, जिसमें शामिल है परिवार से दोबारा मिलना, दत्तकग्रहण और गैर संस्थागत देखरेख;
(viii) समाज में एकीकरण और;
(ix) पुनर्वास के बाद जॉच;

ग) प्रत्येक विशेष दत्तकग्रहण अधिकरण प्रत्येक बच्चे के मामले की फाइल में यह दस्तावेज रखेगी, यानि:

(i) मामले के पूर्ववृत्त और बच्चे की सामाजिक जांच की रिपोर्ट;
(ii) अन्तराल देखरेख आदेश और वह आदेश जो बच्चे को कानूनी रूप से गोद लिए जाने के लिए स्वतंत्र या वैद्य बताता है और समर्पित बच्चे के मामले में समर्पण का दस्तावेज;
(iii) बाल अध्ययन रिपोर्ट, डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट और परीक्षण रिपोर्ट;
(iv) बच्चे की फोटो जो प्रत्येक 6 महीनों के अंतराल में ली गयी हैं;
(v) आवेदन प्ररूप, दस्तावेज और भावी पैपस की गृह अध्ययन रिपोर्ट;
(vi) दत्तकग्रहण का आवेदन, दत्तकग्रहण का आदेश और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र;
(vii) बच्चे के दत्तकग्रहण के बाद की रिपोर्ट्स;

घ) प्रत्येक विशेष दत्तकग्रहण अधिकरण नीचे दिए आगे ये विवरण बना कर रखेगी:

(i) मास्टर (मुख्य) दाखिला रजिस्टर;
(ii) बच्चे की डॉक्टरी और विकास का रजिस्टर;
(iii) बच्चे के मामले की रजिस्टर;
(iv) बच्चो और कार्यकर्ताओं का उपस्थित का रजिस्टर;
(v) दत्तकग्रहण बच्चों का रजिस्टर जिसमें पैपस के विवरण हैं (रजिस्ट्री की तिथि, गृह अध्ययन रिपोर्ट, बच्चा या बच्चों की औपचारिकता तिथि, न्यायलय के आदेश की तिथि, बच्चे को भावी माता पिता को सौंपने की तिथि, आदि);
(vi) वाउचर, कैश बुक, बही–खाता, जरनल और वार्षिक खाते;

(vii) अनुदान और दत्तकग्रहण शुल्क की रसीद और प्रयोग;

(viii) भंडार रजिस्टर; और,

(ix) प्रबंधन समिति और दत्तकग्रहण समिति की बैठक के लिखित वर्णन;

(7) अन्य कार्यः प्रत्येक विशेष दत्तकग्रहण अधिकरण यह कार्य भी करेगीः

क) प्रशिक्षण और अनुकूलन की गतिविधियों का आयोजन ताकि दत्तकग्रहण के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके;

ख) बच्चों के स्टाफ और व्यावसायिक स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा सके इन अधिनियमों के प्रावधानों की प्रक्रियाओं के बारे में; और

ग) यह सुनिष्चित करना कि दूसरे देश में दत्तकग्रहण की प्रक्रिया अधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण संसाधन की सहायता से आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 4 महीनों के अंदर पूरी की जा रही है, प्राधिकरण और राज्य संसाधन की सहायता से जैसे नियम की धारा 62 की उपधारा (2) में प्रदान किया गया है।

स्रोतः दत्तकग्रहण के नियम 2017

संन्दर्भ सूची

Adoption Regulations, 2017

Guardians and Wards Act, 1890

Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956

http://cara.nic.in

Integrated Child Protection Scheme, 2014

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

Mehta, Nilima, *Child Protection and Juvenile Justice System for Children in Need of Care and Protection* (Mumbai: Childline Foundation of India, 2008). Available at http://www.childlineindia.org.in/pdf/cp-JJ-cncp.pdf

National Policy for Children, 2013

Report of the Working Group on Child Rights for the 12th Five Year Plan (2012-2017), Ministry of Women and Child Development, Government of India. Available at http://planningcommission.nic.in/aboutus/committee/wrkgrp12/wcd/wgrep_child.pdf

Rules under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) (as amended by the Amendment Act 33 of 2006), 26 October 2007

Study on Child Abuse: India 2007 (Ministry of Women and Child Development, Government of India, 2007). Available at http://www.childlineindia.org.in/pdf/MWCD-Child-Abuse-Report.pdf

Sengupta, Ananya, "Adoption Wait Grows as Kid Numbers Drop", *The Telegraph* (21 January 2015). Retrieved from http://www.telegraphindia.com/1150121/jsp/nation/ story_9481.jsp#.Vrojzhh97lU

UN Convention on Rights of the Child, 1989

UN Guidelines for the Alternative Care of Children (UNGACC), 2009

परिवार का हिस्सा होना जीवन का प्राकृतिक और महत्वपूर्ण घटक है। और, एक प्रेमपूर्ण और सहायक परिवार का हर बच्चा हकदार है।

रोनाल्ड रीगन
पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका और एक दत्तक पिता

mn;u d;j
16/97–ए, विक्रम विहार, लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
फोनः +91–11–46548105/06
ई–मेलः advocacy@udayancare.org
वेबसाइटः www.udayancare.org